

अध्याय III: बजटीय प्रबंधन

प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है। यह राज्य सरकार की आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजट निर्माण की पारदर्शिता और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करता है। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि नीतिगत निर्णय निधियों के अपव्यय या विपथन के बिना प्रशासनिक स्तर पर सफलता पूर्वक लागू किया जाये।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट बनाने की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए एक रोडमैप तैयार करने का माध्यम है। बजट शब्दावली **परिशिष्ट 3.1** में दी गई है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, वित्त विभाग को वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली या व्यय की जाने वाली सभी अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण तैयार करना आवश्यक है। इस विवरण को संविधान के अनुच्छेद 202 में निर्दिष्ट वार्षिक वित्तीय विवरण (लोकप्रिय रूप से बजट के रूप में जाना जाता है) के रूप में जाना जाता है। बजट प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी होने के साथ शुरू होती है, जो विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने में मार्गदर्शन करती है। राज्य में बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे **चार्ट 3.1** में दी गई है:

चार्ट 3.1 : बजट तैयार करने की प्रक्रिया



सीएसएस: केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें; सीएस: केन्द्रीय योजनायें।

राज्य का बजट मुख्य रूप से सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विभाजित है। राजस्थान बजट नियमावली बजट तैयार करने, बजट निष्पादन और बजट अनुश्रवण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। क्षेत्रवार बजटिंग, जैसे कि सामाजिक बजटिंग और निष्पादन बजटिंग, नवीन बजटिंग तकनीकों को दर्शाता है। राजस्थान में, समेकित बजट के अलावा, राज्य सरकार कुछ उप-बजट/विवरण जैसा कि कृषि बजट, जेंडर बजट विवरण, चाइल्ड बजट विवरण और दो प्रकार के प्रदर्शन बजट दस्तावेज़ यानी आउटकम बजट और आउटपुट बजट भी तैयार करती है।

सामाजिक बजटिंग मानव संसाधन के विकास, कल्याणकारी योजनाओं के समानुपातिक वितरण और सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित है। हालाँकि, राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक बजट से पृथक सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट पेश करने की कोई प्रथा नहीं है।

कृषि बजट: राज्य का कृषि बजट समग्र बजट का एक भाग है और इसे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। राज्य का कृषि बजट, उन योजनाओं पर होने वाले व्यय को प्रकट करता है, जिन्हें किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से समग्र बजट के भीतर प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान में कृषि बजट वर्ष 2022-23 के दौरान पहली बार पेश किया गया था। वर्ष 2023-24 में कृषि बजट पर ₹ 89,190.24 करोड़ आवंटित किये गये हैं, जो वर्ष 2022-23 के 22.22 प्रतिशत की तुलना में राज्य बजट¹ का 17.69 प्रतिशत था।

प्रदर्शन आधारित बजटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्यक्रमों के वित्तीय आवंटन और उनसे अपेक्षित परिणामों के बीच सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाता है, ताकि बजट को अधिक लागत कुशल और प्रभावी बनाया जा सके। राजस्थान में आउटकम और आउटपुट बजट तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष 2006-07 में शुरू की गई थी। ये बजट विवरण विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत परिकल्पित लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन को दर्शाते हैं। वर्ष 2023-24 के आउटकम बजट में 216 विभागों/एजेंसियों के लिए योजनावार जानकारी प्रदान की गई थी।

जेंडर बजट विवरण: राज्य का जेंडर बजट समग्र बजट का एक भाग है और इसे महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है। वर्ष 2023-24 में जेंडर बजट के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने ₹ 38,679.43 करोड़ आवंटित किए थे, जो वर्ष 2022-23 के 9.5 प्रतिशत की तुलना में राज्य बजट का 7.66 प्रतिशत था।

चाइल्ड बजट विवरण: चाइल्ड बजटिंग एक वित्तीय वर्ष के समग्र बजट से बाल केंद्रित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों पर राज्य की प्रतिबद्धता को प्रस्तुत करती है। वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य में पहला चाइल्ड

1 ₹ 5,04,970.13 करोड़

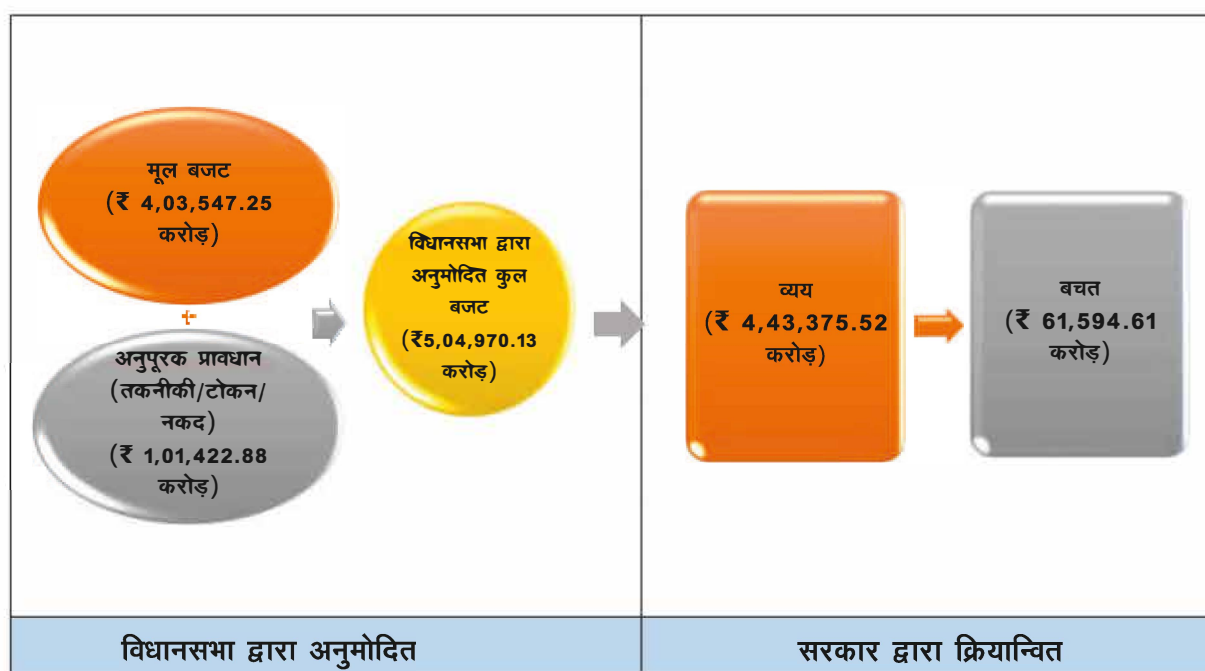
बजट पेश किया गया था। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में चाइल्ड बजट के लिए ₹ 39,693.08 करोड़ आवंटित किए थे, जो वर्ष 2022-23 के 9.30 प्रतिशत की तुलना में राज्य बजट का 7.86 प्रतिशत था।

जेंडर बजट और चाइल्ड बजट के तहत बजट आवंटन और व्यय का विस्तृत लेखापरीक्षा विश्लेषण **अनुच्छेद 3.4.4 और 3.4.5** में दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 202-204 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जैसे ही विस्तृत अनुमान और अनुदान विधान सभा द्वारा पारित किए जाते हैं, वित्त विभाग सभी विभागाध्यक्षों और अन्य बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट वर्ष के दौरान उनके निपटान हेतु बजट आवंटन के बारे में सूचित करता है। वित्त विभाग बजट दस्तावेज़ की प्रतियां महालेखाकार को भी भेजता है। वित्त विभाग द्वारा ऐसी सभी जानकारी और बजटीय आंकड़े एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड की जाती है और इस तक पहुँच संबंधित अधिकारियों के पास उपलब्ध है।

वित्त विभाग वर्ष के दौरान विभागों द्वारा अनुपूरक अनुदानों और पुनर्विनियोजन के लिए किये गये अनुरोधों की भी समीक्षा करता है। अनुपूरक अनुदान के अलावा अनुदान के अंतर्गत निधि को फिर से आवंटित करने के लिए पुनर्विनियोग का उपयोग भी किया जा सकता है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित कुल राशियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

चार्ट 3.2: मूल एवं अनुपूरक बजट, व्यय और बचत की स्थिति



राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) निर्धारित करता है कि व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उतनी ही वित्तीय अनियमितता है जितनी कि वास्तविक व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि किसी विशेष मद पर व्यय के अनुमान में प्रदान की गई राशि वह राशि होनी चाहिए जिसे वर्ष में व्यय किया जा सके और यह न तो अधिक होनी चाहिए और न ही कम।

3.1.1 कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों और बचतों का सारांश

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 64 अनुदानों/विनियोगों में कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य तथा इसके आगे दत्तमत/प्रभारित के विभाजन की सारीकृत स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है:

तालिका 3.1: वर्ष 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण और बचत

(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत (-)/आधिक्य(+)	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	2,48,388.08	34,947.33	2,13,150.56	34,473.68	(-)35,237.52	(-) 473.65**
पूँजीगत	47,310.00	1.79	31,352.77	1.72	(-)15,957.23*	(-) 0.07
ऋण और अग्रिम	450.08	-	398.21	-	(-)51.87	-
लोक ऋण	-	1,73,872.85	-	1,63,998.58	-	(-)9,874.27
कुल	2,96,148.16	2,08,821.97	2,44,901.54	1,98,473.98	(-)51,246.62	(-)10,347.99

स्रोत: विनियोग लेखे

* अनुदान-44 (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के अंतर्गत ₹ 76.41 करोड़ की आधिक्य राशि को समायोजित करने के बाद प्राप्त किया गया।

** अनुदान-22 (उच्च शिक्षा विभाग) के अंतर्गत ₹ 1.32 करोड़ की आधिक्य राशि को समायोजित करने के बाद प्राप्त किया गया।

दो अनुदानों में ₹ 77.73 करोड़ के आधिक्य एवं शेष अनुदानों में ₹ 61,672.34 की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 61,594.61 करोड़ की निवल बचत रही।

3.1.2 बचतों और संवितरणों का सारांश

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित और दत्तमत व्यय के बीच अंतर किया गया है। प्रभारित व्यय राज्य के राजस्व पर भारित ऐसा व्यय है जो संविधान के तहत विधानसभा के मत के अधीन नहीं है। दत्तमत व्यय विधानसभा के मत के अधीन है। संविधान का अनुच्छेद 202 (3) उन व्ययों की श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जा सकता है।

विगत पांच वर्षों (2019-24) के दौरान कुल संवितरणों का दत्तमत एवं प्रभारित में विभाजन का प्रवृत्ति विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.2: अवधि 2019-24 के दौरान दत्तमत एवं प्रभारित संवितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
1.	2019-20	1,74,658.95	43,879.83	(-) 24,176.34	(-) 181.67
2.	2020-21	1,74,822.52	66,438.60	(-) 26,690.95	(-) 360.87
3.	2021-22	2,13,739.00	84,495.12	(-) 23,679.22	(-) 8,949.61
4.	2022-23	2,27,982.64	1,56,716.23	(-) 44,021.20	(+) 20,762.84
5.	2023-24	2,44,901.54	1,98,473.98	(-) 51,246.62	(-) 10,347.99

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेख

वर्ष 2019-20 में प्रभारित संवितरण ₹ 43,879.83 करोड़ से 352.31 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 1,98,473.98 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 में दत्तमत संवितरण भी ₹ 1,74,658.95 करोड़ से 40.22 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 2,44,901.54 करोड़ हो गया।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत बचतें ₹ 23,679.22 करोड़ एवं ₹ 51,246.62 करोड़ के मध्य रही। वर्ष 2022-23 में प्रभारित अनुभाग में ₹ 20,762.84 करोड़ के आधिक्य व्यय के विपरीत, वर्ष 2023-24 में ₹ 10,347.99 करोड़ की बचत रही।

3.1.3 बजट की सटीकता

बजट सटीकता, राजस्व एवं व्यय के बजट अनुमानों के समक्ष वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय के संबंधों की जाँच करने के बारे में है। विश्व बैंक का सार्वजनिक व्यय एवं वित्तीय जवाबदेही (पी.ई.एफ.ए) कुल व्यय परिणाम और व्यय संरचना परिणाम के सन्दर्भ में बजट विश्वसनीयता को मापता है।

समग्र बजट आउटटर्न

समग्र बजट आउटटर्न उस सीमा को मापता है जिस हद तक समग्र बजट व्यय का परिणाम/वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों के सन्दर्भ में, को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान मूल प्रावधान एवं उनके वास्तविक परिणाम से विचलन की सारीकृत स्थिति को तालिका 3.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.3: वर्ष 2023-24 के लिए समग्र बजट आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक आउटटर्न	वास्तविक और बीई के बीच अंतर*	बीई और आरई के बीच अंतर	वास्तविक और आरई के बीच अंतर*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(2)	(6)=(2)-(3)	(7)=(4)-(3)
राजस्व	2,66,021.56	2,74,881.72	2,47,624.24	(-) 18,397.32	8,860.16	(-) 27,257.48
पूंजीगत	1,37,525.69	2,14,770.70	1,95,751.28	(+) 58,255.59	77,245.01	(-) 19,019.42
कुल	4,03,547.25	4,89,652.42	4,43,375.52	(+) 39,828.27	86,105.17	(-) 46,276.90

* मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया गया है और मूल प्रावधान से वास्तविक प्रावधान में कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व भाग में, बीई की तुलना में आउटटर्न में (-) 6.92 प्रतिशत का विचलन था। यह 49 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच, 12 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, एक अनुदान में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के विचलन के कारण था। हालाँकि, राजस्व भाग की एक अनुदान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

पूंजीगत भाग में, बीई की तुलना में आउटटर्न में (+) 42.34 प्रतिशत का विचलन था। यह 12 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच, 13 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, 33 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और चार अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के विचलन के कारण था। हालाँकि, पूंजीगत भाग की दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं, जिनकी तुलना भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के तहत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट अनुदान और विनियोजन की राशि से की जाती है। विनियोग लेखे सकल आधार पर तैयार होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोजन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के प्रभारित और दत्तमत दोनों मंदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत सेवाओं की तुलना में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे इस प्रकार धन के उपयोग, वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को समझने में सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए ये वित्त लेखे के पूरक हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए विनियोगों की लेखापरीक्षा करता है कि क्या बजट में अंतर्निहित विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय, वास्तव में वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के भीतर है और क्या प्रभारित विनियोग संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रभारित किए जाने के लिए आवश्यक है। इसमें यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता

3.3.1 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

एसबीएम का अनुच्छेद 24.2 यह निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान, यदि किसी उद्देश्य के लिए प्रदान की गई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के दौरान किसी वस्तु या सेवा पर व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो विधानमंडल द्वारा अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

राज्य विधानसभा ने वर्ष 2023-24 के लिए 64 अनुदान/विनियोगों में ₹ 1,01,422.88 करोड़ के अनुपूरक प्रावधानों (सितंबर 2023 और फरवरी 2024) की मंजूरी दी है। अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों (प्रत्येक मामले में ₹ 25.00 करोड़ या अधिक) के कुल ₹ 7,467.51 करोड़ के 32 मामले नीचे तालिका 3.4 में दिए गए हैं।

तालिका 3.4: ऐसे मामले जहां वर्ष 2023-24 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों से बचत
1	2	3	4	5	6=3-5
राजस्व (दत्तमत)					
1.	6-विधि एवं विधिक मामलात विभाग	1,540.71	54.30	1,524.73	15.98
2.	10-वाणिज्यिक कर विभाग	1,128.78	88.91	1,026.53	102.25
3.	16-राजस्व विभाग	1,962.96	32.61	1,670.31	292.65
4.	18-गृह विभाग	9,122.99	196.32	8,727.74	395.25
5.	20-प्रारंभिक शिक्षा विभाग	18,787.27	134.62	14,595.35	4,191.92
6.	21-माध्यमिक शिक्षा विभाग	23,526.42	55.95	22,821.44	704.98
7.	22-उच्च शिक्षा विभाग	2,027.27	75.90	1,852.68	174.59
8.	25- कला एवं संस्कृति विभाग	189.38	73.66	114.93	74.45
9.	27- चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग	9,373.80	432.60	9,248.33	125.47
10.	30-जनजाति क्षेत्र विभाग	21,319.67	837.10	18,264.75	3,054.92
11.	32-महिला एवं बाल विकास विभाग	2,636.33	53.76	2,175.89	460.44
12.	34-श्रम एवं रोजगार विभाग	1,658.02	28.34	1,577.98	80.04
13.	35-अल्पसंख्यक मामलात विभाग	190.68	76.90	186.20	4.48
14.	36-आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	5,089.99	850.92	4,103.76	986.23
15.	40-स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	6,036.51	878.03	5,111.21	925.30
16.	46-कृषि विभाग	3,616.81	45.90	3,427.97	188.84
17.	47-पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग	1,402.61	292.77	1,287.87	114.74
18.	49-गोपालन विभाग	1,833.62	47.44	1,798.62	35.00
19.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	26,928.37	1,078.54	22,540.37	4,388.00
20.	53-ग्रामीण विकास विभाग	4,389.16	395.22	2,490.26	1,898.90
21.	56-उद्योग विभाग	521.90	47.70	352.48	169.42
22.	62-परिवहन विभाग	1046.73	151.31	1,021.27	25.46
	कुल	1,44,329.98	5,928.80	1,25,920.67	18,409.31
पूंजीगत (दत्तमत)					
23.	18-गृह विभाग	277.39	50.00	84.01	193.38
24.	20-प्रारंभिक शिक्षा विभाग	198.13	237.49	95.83	102.30
25.	21-माध्यमिक शिक्षा विभाग	865.83	200.38	649.80	216.03
26.	27-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	800.60	67.55	625.36	175.24
27.	30-जनजाति क्षेत्र विभाग	7,036.71	254.65	5,051.16	1,985.55
28.	40-स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	4,336.33	58.41	2,016.32	2,320.01

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों से बचत
1	2	3	4	5	6=3-5
29.	42-जल संसाधन एवं इन्दिरा नहर परियोजना विभाग	3,192.36	61.49	2,470.16	722.20
30.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	8,204.61	223.74	5,165.91	3,038.70
31.	53-ग्रामीण विकास विभाग	737.33	335.00	606.25	131.08
32.	57-पेट्रोलियम विभाग	500.00	50.00	500.00	0.00
	कुल	26,149.29	1,538.71	17,264.80	8,884.49
	कुल योग	1,70,479.27	7,467.51	1,43,185.47	27,293.80

स्रोत: विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि इन 32 मामलों में ₹ 1,70,479.27 करोड़ के मूल अनुदान के अलावा ₹ 7,467.51 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया था जो अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय केवल ₹ 1,43,185.47 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप मूल प्रावधान के मुकाबले ₹ 27,293.80 करोड़ की बचत हुई। हालाँकि, संबंधित विभागों ने मूल प्रावधान के तहत धन की उपलब्धता के बावजूद अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के कारण प्रस्तुत नहीं किए।

यह इंगित करता है कि मूल प्रावधान की पर्याप्तता के उचित आकलन किये बिना अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए थे और जिससे वर्ष के दौरान समग्र बजटीय बचत में वृद्धि रही। इससे यह भी पता चलता है कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आवश्यकता के बिना अनुपूरक प्रावधान किए गए थे।

3.3.2 निधियों का अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई, जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है, से दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, निधियों का हस्तांतरण है। एसबीएम के अनुच्छेद 23.3 के अनुसार, पुनर्विनियोजन केवल तभी स्वीकार्य हैं, जब यह ज्ञात हो या प्रत्याशित हो कि विनियोजन के लिए जिस इकाई से निधियों को निकाला जाना है, वहां इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या इसमें बचत निश्चित रूप से प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2023-24 के दौरान, 31 मार्च 2024 तक ₹ 22,805.16 करोड़ के पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए।

कई मामलों में, पुनर्विनियोजन अपर्याप्त/अत्यधिक या अनावश्यक सिद्ध हुये और जिसके परिणामस्वरूप भारी बचतें रही। पुनर्विनियोजन के बाद 29 लेखा शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक की अंतिम बचत/आधिक्य रहे (परिशिष्ट 3.2)। 12 लेखा शीर्षों में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, तीन लेखा शीर्षों में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं 14 लेखा शीर्षों में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ।

उपरोक्त उदाहरण इस तथ्य को दर्शाते हैं कि बजट नियंत्रक अधिकारी आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से आंकलन करने में विफल रहे और उनके पास पुनर्विनियोजन से पूर्व व्यय के सम्बन्ध में अद्यतीत सूचना नहीं थी।

एसबीएम का अनुच्छेद 23.15.6 परिकल्पित करता है कि विभाग द्वारा प्रत्याशित आधिक्य या बचतों के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2024) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से ज्ञात होता है कि 3,246 शीषों में से मात्र 1,469 प्रकरणों (45.26 प्रतिशत) में पुनर्विनियोजन आदेशों में कारणों को स्पष्ट रूप से बताया गया। शेष 1,777 प्रकरणों में, स्पष्टीकरण अस्पष्ट और गैर-विशिष्ट प्रकृति जैसे 'वास्तविक आवश्यकता पर आधारित', 'नवीनतम मूल्यांकन पर आधारित' और 'व्यय का प्रतिबंध' के थे।

3.3.3 अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचतें/अभ्यर्पण

राज्य बजट नियमावली का अनुच्छेद 13.7 प्रावधित करता है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करते समय गत तीन वर्षों के दौरान हुए वास्तविक व्यय और चालू वित्त वर्ष के लिए किये गए संशोधित अनुमान को ध्यान में रखना चाहिए। पिछले आंकड़ों का उपयोग व्यय में वृद्धि या कमी की किसी उल्लेखनीय प्रवृत्ति, पिछले वर्षों के दौरान कोई असाधारण विशेषता, व्यय के आवागमन में कोई विशेष नियमितता और व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकने वाली संभावित कोई विशेष घटना की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए।

वर्ष 2023-24 के दौरान, बजट आवंटन से पर्याप्त बचत के प्रकरण देखे गये, जिससे बजट प्रक्रिया और बजट अनुश्रवण की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विनियोग लेखापरीक्षा के परिणामों में प्रकट हुआ कि वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 61,672.34 करोड़ (₹ 77.73 करोड़ की आधिक्य राशि का समायोजन किए बिना) (कुल बजट प्रावधान ₹ 5,04,970.13 करोड़ का 12.21 प्रतिशत) की कुल बचतों में से 52 अनुदानों जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचतें रही तथा इनमें संयुक्त रूप से राशि ₹ 49,812.94 करोड़ की बचतें रही, जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है।

विभागों द्वारा उल्लेखनीय बचतों के मुख्य कारण भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं करना/कम अंश में जारी करना और कार्यों का कम होना/नहीं होना बताये गये। अन्य कारण थे:

- पदों का रिक्त रहना तथा वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होना,
- भारत सरकार से कार्य की मंजूरी/निधियों का न मिलना,
- राजस्थान सरकार से योजना की मंजूरी न मिलना,
- कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होना,
- निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति/शुरू न होना,

- केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अनुदानों की कम प्राप्ति,
- पिछली आवंटित निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना,
- बिजली कंपनियों द्वारा पूंजीगत व्यय कम करना,
- लाभार्थियों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति आदि।

यह इंगित करता है कि विभागों और इन अनुदानों के बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय के बजट अनुमान तैयार करने के दौरान व्यय के अनुमानों से संबंधित एसबीएम के अध्याय 13 के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61,594.61 करोड़ की भारी समग्र निवल बचतें हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान 64 अनुदानों में से, राजस्व-दत्तमत अनुभाग की तीन अनुदानों में, राजस्व-प्रभारित अनुभाग की एक अनुदान में और पूंजीगत-दत्तमत अनुभाग की 24 अनुदानों में, बजट आवंटन (₹ 10 करोड़ से अधिक) का उपयोग 50 प्रतिशत से कम रहा, जो कि सुधारात्मक उपायों को शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा समीक्षा की आवश्यकता वाले मुद्दों को दर्शाती हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान 50 प्रतिशत से कम बजटीय आवंटन का उपयोग तालिका 3.5 में दिखाया गया है।

तालिका 3.5: 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान	बजट (मू.+अनु.)	व्यय	उपयोगिता प्रतिशत
	राजस्व-दत्तमत			
1.	5-लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड	113.82	39.80	34.97
2.	25-कला एवं संस्कृति विभाग	263.04	114.93	43.69
3.	50-सहकारिता विभाग	2,798.15	1,208.66	43.19
	राजस्व प्रभारित			
4.	15-पेंशन	20.00	3.34	16.70
	पूंजीगत-दत्तमत			
5.	6- विधि एवं विधिक मामलात विभाग	349.43	119.51	34.20
6.	8- सचिवालय	120.98	9.20	7.60
7.	11-पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	24.19	7.50	31.00
8.	12-आबकारी विभाग	25.00	0.50	2.00
9.	14- राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	129.79	51.75	39.87
10.	16- राजस्व विभाग	74.74	12.28	16.43
11.	17-सामान्य प्रशासनिक विभाग	206.10	80.84	39.22
12.	18- गृह विभाग	327.39	84.01	25.66
13.	20-प्रारंभिक शिक्षा विभाग	435.62	95.83	22.00
14.	25-कला एवं संस्कृति विभाग	16.81	2.40	14.28
15.	28-विकित्सा शिक्षा विभाग	1,562.94	535.71	34.28
16.	34-श्रम एवं रोजगार विभाग	136.07	65.33	48.01
17.	35- अल्पसंख्यक मामलात विभाग	319.42	134.25	42.03
18.	37- देवस्थान विभाग	22.00	0.15	0.68
19.	38-सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	14.23	1.49	10.47
20.	39-नगरीय विकास एवं आवास विभाग	253.42	13.54	5.34
21.	40-स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	4,394.74	2,016.32	45.88
22.	48-उद्योगिकी विभाग	40.35	3.85	9.54
23.	50-सहकारिता विभाग	18.72	2.93	15.65
24.	54-ऊर्जा विभाग	1,189.55	531.94	44.72
25.	56-उद्योग विभाग	16.61	4.04	24.32
26.	58-स्नान विभाग	10.50	4.52	43.05

क्र. स.	अनुदान	बजट (मू.+अनु.)	व्यय	उपयोगिता प्रतिशत
27.	60-सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	726.18	286.23	39.42
28.	62-परिवहन विभाग	156.05	75.57	48.43

स्रोत: विनियोग लेख एवं बजट दस्तावेज

कम उपयोग से इन क्षेत्रों पर कम ध्यान देने के साथ-साथ दोषपूर्ण बजट निर्माण प्रक्रिया की स्वामियों को इंगित करते हैं।

प्रत्याशित बचतों का अनभ्यर्पण

एसबीएम के अनुच्छेद 23.16 के अनुसार, जिन अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए और बजट नियंत्रण अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रत्याशित बचतें जैसे ही दर्शित हो तो उन्हें वर्ष समाप्ति का इंतजार किए बिना तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर देना चाहिए जब तक कि वे उसी अनुदान के अंतर्गत अन्य इकाइयों के तहत हुए आधिक्यों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक ना हो। उनके द्वारा भविष्य के संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए कोई भी बचत आरक्षित नहीं रखी जा सकती है।

कुल बचत ₹ 61,672.34 करोड़ के समक्ष ₹ 61,560.69 करोड़ की राशि समर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 111.65 करोड़ की राशि अनभ्यर्पित रही। हालाँकि, विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 611.36 करोड़ अनभ्यर्पित राशि थी। जो अन्य अनुदानों/विनियोगों की बचतों के विरुद्ध ₹ 499.71 करोड़ के अधिक अभ्यर्पण से समायोजित हुई और इस प्रकार वर्ष के अंत में ₹ 111.65 करोड़ की राशि अनभ्यर्पित रही।

19 अनुदानों/विनियोगों के 21 मामलों में (जहां बचतें एक करोड़ और उससे अधिक थी) ₹ 28,205.79 करोड़ की समग्र बचतों के साथ अनभ्यर्पित बचतों (₹ 605.96 करोड़) की राशि का विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है। शीघ्र अभ्यर्पण से संसाधनों की कमी वाले अन्य क्षेत्रों में संसाधनों का अधिक लाभदायक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता था।

यह इंगित करता है कि विभागों ने आवश्यकताओं का यथार्थवादी आंकलन नहीं किया और मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहे।

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत धनराशि के अधिक अभ्यर्पण का विवरण

₹ 499.71 करोड़ के अधिक अभ्यर्पण में से छह अनुदानों/विनियोजन से संबंधित अधिक अभ्यर्पण (एक करोड़ रुपये से अधिक) के प्रमुख मामले, जहां ₹ 497.13 करोड़ की राशि का बचत से अधिक अभ्यर्पण किया गया था, **तालिका 3.6** में दिए गए हैं:

तालिका 3.6: ऐसे मामले जहां बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
1	4-लोक ऋण का पुनर्भुगतान (पूँजीगत प्रभारित)	93,765.82	80,107.03	1,73,872.85	1,63,998.58	(-)9,874.27	9,877.54	3.27
2.	15-पेंशन (राजस्व- दत्तमत)	26,051.60	1,182.96	27,234.56	27,199.97	(-)34.59	486.49	451.90
3.	18-गृह विभाग (राजस्व- दत्तमत)	9,122.99	196.33	9,319.32	8,727.74	(-)591.58	594.98	3.40
4.	31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (राजस्व-दत्तमत)	7,778.80	1,162.86	8,941.66	8,042.40	(-)899.26	930.29	31.03
5.	31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (पूँजीगत - दत्तमत)	137.33	60.23	197.56	174.84	(-)22.72	28.77	6.05
6.	41-जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (राजस्व- दत्तमत)	4,828.25	228.15	5,056.40	5,009.43	(-)46.97	48.45	1.48
	योग	1,41,684.79	82,937.56	2,24,622.35	2,13,152.96	(-)11,469.39	11,966.52	497.13

स्रोत: विनियोग लेखे

विभागों ने वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण के संबंध में कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये (सितम्बर 2024)।

इन पांच अनुदानों और एक विनियोग में वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को इंगित करता है।

निरन्तर बचतें

जन लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 76वीं रिपोर्ट (15वीं विधानसभा) में सिफारिश की थी कि क्रमिक वर्षों में निरन्तर बचतें बिना आवश्यकता के बजट के अधिक अनुमान और उचित अनुश्रवण की कमी को इंगित करती है। अतः विभागों को भविष्य में बजट अनुमानों को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इन सिफारिशों के बावजूद वर्ष 2023-24 के दौरान निरन्तर बचतों की प्रवृत्ति बनी रही। निरन्तर बचतों से तात्पर्य पिछले तीन वर्षों में बजट मद में प्रावधान के विरुद्ध ₹ 100 करोड़ या अधिक की निरन्तर बचत से है।

गत तीन वर्षों के दौरान, नौ अनुदानों के नौ मामलों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरन्तर बचतें थी जो कि कुल प्रावधान के 6.43 प्रतिशत से 63.94 प्रतिशत के मध्य रही जिनका विवरण तालिका 3.7 में दिया गया है।

तालिका 3.7: विभिन्न अनुदानों के तहत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत						
1.	8-राजस्व	2021-22	922.28	793.48	128.80	13.97
		2022-23	1,068.94	850.68	218.25	20.42
	16-राजस्व विभाग	2023-24	1,995.57	1,670.31	325.26	16.30

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2.	9-वन	2021-22	1,000.92	811.84	189.08	18.89
		2022-23	1,006.01	882.34	123.67	12.29
	45-वन एवं पर्यावरण विभाग	2023-24	1,118.67	974.79	143.88	12.86
3	23-श्रम एवं रोजगार	2021-22	1,409.03	1,072.41	326.62	23.18
		2022-23	1,610.23	1,360.77	249.46	15.49
	34- श्रम एवं पर्यावरण विभाग	2023-24	1,686.36	1,577.98	108.38	6.43
4.	29-नगरीय आयोजना और प्रादेशिक विकास	2021-22	6,034.41	5,154.35	880.06	14.58
		2022-23	5,960.43	5,092.19	868.24	14.57
	40-स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	2023-24	6,914.54	5,111.21	1,803.33	26.08
5.	37-कृषि	2021-22	4,156.18	3,729.06	427.12	10.28
		2022-23	4,785.44	3,571.63	1,213.81	25.36
	46-कृषि विभाग	2023-24	3,662.70	3,427.97	234.73	6.41
6.	41-सामुदायिक विकास	2021-22	9,241.37	7,288.17	1,953.21	21.14
		2022-23	9,909.98	6,054.43	3,855.55	38.91
	53-ग्रामीण विकास विभाग	2023-24	4,784.38	2,490.26	2,294.12	47.95
पूँजीगत-दत्तमत						
7.	27-पेयजल योजना	2021-22	4,361.16	3,471.05	890.11	20.41
		2022-23	4,616.98	1,664.70	2,952.28	63.94
	41-जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	2023-24	3,665.00	2,148.73	1,516.27	41.37
8.	30-जनजातीय क्षेत्रीय विकास	2021-22	3,850.52	3,192.95	667.86	17.34
		2022-23	6,354.62	3,669.72	2,684.89	42.25
		2023-24	7,291.36	5,051.16	2,240.20	30.72
9.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2021-22	4,864.22	4,028.65	835.57	17.18
		2022-23	7,172.68	4,026.70	3,145.98	43.86
		2023-24	8,428.35	5,165.91	3,262.44	38.71

स्रोत: विनियोग लेखे

संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत कारणों के अनुसार, लगातार बचत मुख्य रूप से भारत सरकार/राजस्थान सरकार का अंशदान/निधि के कम/जारी नहीं होना थे। अन्य कारणों में धनराशि का कम हस्तांतरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना, विभिन्न योजनाओं के तहत कम स्वीकृति जारी होना, निर्माण कार्य शुरू न होना और काम की धीमी प्रगति आदि शामिल थे।

अवधि के दौरान निरंतर बचतें, संभावित व्यय के अवास्तविक अनुमानों, व्यय पर कमजोर नियंत्रण और अपर्याप्त वित्तीय अनुश्रवण को इंगित करती है।

3.3.4 वर्ष 2023-24 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य का नियमितीकरण

वर्ष 2023-24 में राज्य की समेकित निधि से अधिकृत दो अनुदानों के तहत प्रावधान से अधिक राशि ₹ 77.73 करोड़ का सारांश और संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत जिसका नियमितीकरण आवश्यक है, जैसा कि तालिका 3.8 में नीचे दिखाया गया है।

तालिका 3.8: वर्ष 2023-24 के दौरान प्रावधानों से अधिक के नियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	कुल विनियोग	व्यय	आधिक्य
राजस्व प्रभारित				
1.	22-उच्च शिक्षा विभाग	10.00	11.32	1.32
पूँजीगत दत्तमत				
2.	44-लोक निर्माण विभाग	7,642.53	7,718.94	76.41
कुल योग		7,652.53	7,730.26	77.73

स्रोत: विनियोग लेखे

एसबीएम के अनुच्छेद 23.15.6 के अनुसार, प्रत्याशित आधिक्य या बचत के कारणों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए। लोक निर्माण विभाग ने "44-लोक निर्माण विभाग" अनुदान के तहत ₹ 76.41 करोड़ के अधिक व्यय के लिए बताया कि मुख्य रूप से सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क कार्यों के लिए ₹ 91.68 करोड़ के व्यय की अधिक बुकिंग के कारण था। बोर्ड ने सूचित किया कि ये कार्य भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निष्पादित किए जाते हैं और व्यय वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बजट प्रावधान उपलब्ध कराए बिना बुक किया जाता है। हालाँकि, उच्च शिक्षा विभाग ने "अनुदान 22-उच्च शिक्षा विभाग" के तहत प्राधिकृत से अधिक ₹ 1.32 करोड़ के आधिक्य व्यय के कारण प्रस्तुत नहीं किए।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

3.4.1 बजट अनुमान तथा प्रत्याशा एवं वास्तविक व्यय के मध्य अंतर

वर्ष 2023-24 के दौरान 64 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 3.9 में दी गई है।

तालिका 3.9: मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान /विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय*	शुद्ध बचत (-)/ आधिक्य (+)	मार्च में अभ्यर्पित	
							राशि	बचत (-) आधिक्य (+) के विरुद्ध प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	2,33,329.23	15,058.85	2,48,388.08	2,13,150.56	(-) 35,237.52	35,171.06	99.81
	II. पूँजीगत	43,614.35	3,695.65	47,310.00	31,352.77	(-) 15,957.23	15,904.20	99.67
	III ऋण और अग्रिम	145.52	304.56	450.08	398.21	(-) 51.87	154.10	297.09
कुल		2,77,089.10	19,059.06	2,96,148.16	2,44,901.54	(-) 51,246.62	51,229.36	99.97
प्रभारित	IV. राजस्व	32,692.33	2,255.00	34,947.33	34,473.68	(-) 473.65	453.73	95.79
	V. पूँजीगत	0.00	1.79	1.79	1.72	(-) 0.07	0.06	100.00
	VI. लोक ऋण- पुनर्भुगतान	93,765.82	80,107.03	1,73,872.85	1,63,998.58	(-) 9,874.27	9,877.54	100.03
कुल		1,26,458.15	82,363.82	2,08,821.97	1,98,473.98	(-) 10,347.99	10,331.33	99.84

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान /विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय*	शुद्ध बचत (-)/ आधिक्य (+)	मार्च में अभ्यर्पित	
							राशि	बचत (-) आधिक्य (+) के विरुद्ध प्रतिशत
आकस्मिकता निधि का विनियोजन (यदि कोई हो)	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग		4,03,547.25	1,01,422.88	5,04,970.13	4,43,375.52	(-) 61,594.61	61,560.69	99.94

स्रोत: विनियोग लेख एवं बजट दस्तावेज

* वास्तविक व्यय के आंकड़ों में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियां सम्मिलित हैं (राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत वसूलियाँ: ₹ 5,393.36 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत वसूलियाँ: ₹ 4,708.77 करोड़, कुल: ₹ 10,102.13 करोड़)।

उपरोक्त तालिका दत्तमत अनुभाग में ₹ 51,246.62 करोड़ की बचत और प्रभारित अनुभाग में ₹ 10,347.99 करोड़ की बचत दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61,594.61 करोड़ की शुद्ध बचत हुई। राजस्व अनुभाग के तहत 63 अनुदानों तथा पूंजीगत अनुभाग के तहत 62 अनुदानों में कुल मिलाकर ₹ 61,672.34 करोड़ की समग्र बचत हुई, जो पूंजीगत अनुभाग एवं राजस्व अनुभाग में प्रत्येक में एक अनुदान के तहत ₹ 77.73 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसादित हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61,594.61 करोड़ की शुद्ध बचत रही। वर्ष के दौरान ₹ 1,01,422.88 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त हुआ जो मूल प्रावधान का 25.13 प्रतिशत था। सभी अनुदानों के अंतर्गत अंतिम बचत वर्ष के दौरान प्राप्त अनुपूरक बजट का 60.73 प्रतिशत थी। यह इंगित करता है कि अनुपूरक प्रावधान आवश्यकताओं की उचित संवीक्षा के बिना लिए गए थे, जैसा कि अनुच्छेद 3.3.1 में उल्लेखित है।

बजट अनुमानों की विश्वसनीयता

राज्य का बजट संस्थाओं के तीन समूह प्रदान करता है: (i) बजट अनुमान: आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान, (ii) संशोधित अनुमान: वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान में संशोधन, और (iii) वास्तविक व्यय: गत वर्ष की अंतिम लेखापरीक्षित राशि। राज्य विधानमंडल बजट अनुमानों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए बजट को मंजूरी देता है। संशोधित अनुमान वर्तमान वर्ष में सरकार के वित्त का अधिक यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करते हैं क्योंकि वे उस वर्ष में पहले से ही दर्ज किए गए वास्तविक लेनदेन के संदर्भ में बनाए गए हैं। वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान से कम या अधिक हो सकते हैं और यह तुलना प्रस्तावित बजट की विश्वसनीयता को समझने में मदद करती है।

वर्ष 2019-2024 के पांच वर्षों की अवधि के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय की समग्र स्थिति तालिका 3.10 में विस्तृत की गई है:

तालिका 3.10: वर्ष 2019-24 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

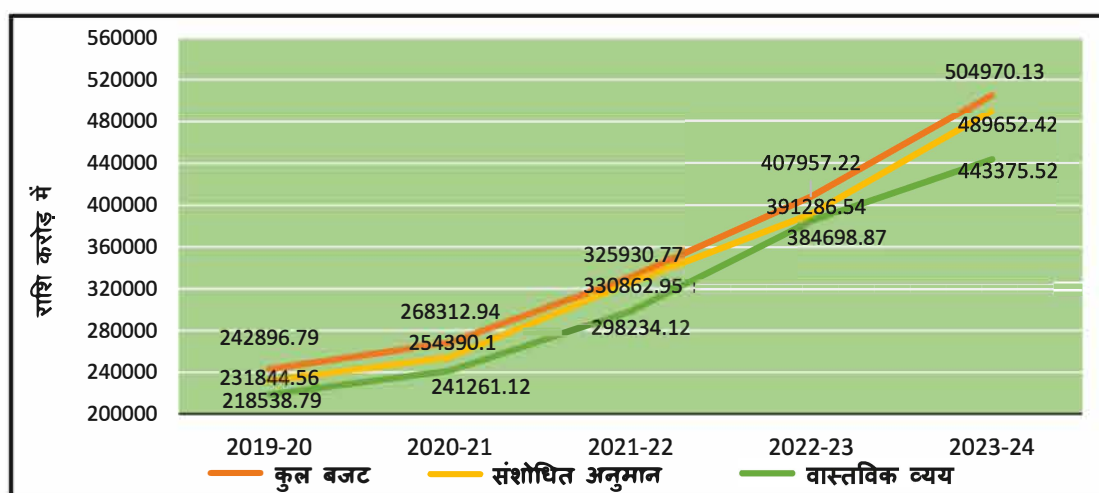
(₹ करोड़ में)

क्र.स.		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	मूल बजट	2,39,959.67	2,32,058.98	2,58,083.86	3,55,222.83	4,03,547.25
2.	अनुपूरक बजट	2,937.12	36,253.96	72,779.09	52,734.39	1,01,422.88
3.	कुल बजट (टीबी)	2,42,896.79	2,68,312.94	3,30,862.95	4,07,957.22	5,04,970.13
4.	संशोधित अनुमान (आरई)	2,31,844.56	2,54,390.10	3,25,930.77	3,91,286.54	4,89,652.42
5.	वास्तविक व्यय (ईई)	2,18,538.79	2,41,261.12	2,98,234.12	3,84,698.86	4,43,375.52
6.	बचत	24,358.00	27,051.82	32,628.83	23,258.36	61,594.61
7.	मूल बजट से अनुपूरक का प्रतिशत	1.22	15.62	28.20	14.85	25.13
8.	समग्र बचत का कुल प्रावधान से प्रतिशत	10.03	10.08	9.86	5.70	12.20
9.	टीबी-आरई	11,052.23	13,922.84	4,932.18	16,670.68	15,317.71
10.	आरई-ईई	13,305.77	13,128.98	27,696.65	6,587.67	46,276.90
11.	(टीबी-आरई) टीबी के % के रूप में	4.55	5.19	1.49	4.09	3.03
12.	(आरई-ईई) टीबी के % के रूप में	5.48	4.89	8.37	1.61	9.16

स्रोत: वार्षिक वित्त विवरण और विनियोग लेख

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019-2024 की अवधि के दौरान अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधानों के मुकाबले 1.22 प्रतिशत से 28.20 प्रतिशत तक रहे। यह वर्ष 2021-22 में 28.20 प्रतिशत था और वर्ष 2023-24 में घटकर 25.13 प्रतिशत रह गए।

चार्ट 3.3: बीई, आरई और वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति



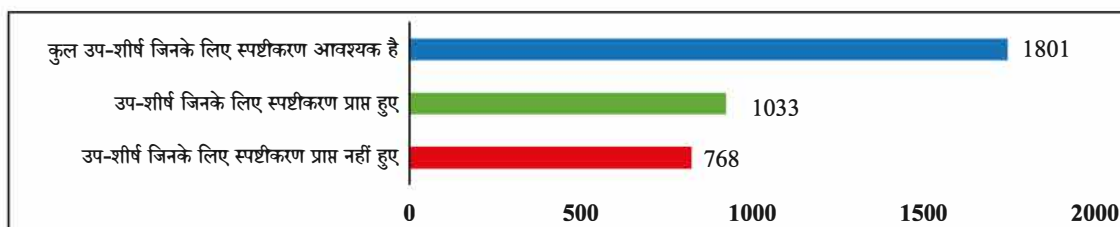
उपरोक्त तालिका और चार्ट से पता चलता है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक, संशोधित अनुमान (आरई) हमेशा राज्य के कुल बजट (टीबी) से कम थे। आरई और टीबी के बीच का अंतर वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 16,670.68 करोड़ से घटकर वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 15,317.71 करोड़ रह गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिशतता में अंतर 6 प्रतिशत से कम था, हालाँकि, 2022-23 में आरई कुल बजट से 4.09 प्रतिशत कम था, जो 2023-24 में घटकर 3.03 प्रतिशत रह गया।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-24 की अवधि में, संशोधित अनुमान (आरई) हमेशा राज्य के वास्तविक व्यय (एई) से अधिक था। आरई और एई के बीच का अंतर वर्ष 2021-22 में ₹ 27,696.65 करोड़ से कम होकर वर्ष 2022-23 में ₹ 6,587.67 करोड़ रह गया, लेकिन वर्ष 2023-24 में यह वापस बढ़कर ₹ 46,276.90 करोड़ हो गया। प्रतिशतता के संदर्भ में, एई वर्ष 2022-23 में आरई से 1.61 प्रतिशत कम था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 9.16 प्रतिशत हो गया।

यह दर्शाता है कि वर्ष 2019-24 के दौरान, बजटीय आवंटन गलत प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान हमेशा बढ़ाए गए थे और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम थे। ऐसे में, वर्ष 2019-20 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया, जबकि वर्ष 2020-2024 की अवधि में अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक थे।

महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों से 1,801 उप-शीर्षों में व्यय में भिन्नता अर्थात बचत/आधिक्य पर स्पष्टीकरण मांगा। हालाँकि, 768 उप-शीर्षों (बचत: 610 और आधिक्य: 158) के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2024)।

चार्ट 3.4: विनियोग लेखों में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का सारांश



बजट आवंटन और उनके उपयोग के बीच भिन्नता के स्पष्टीकरणों का अभाव सरकार की वित्तीय जवाबदेयता सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

3.4.2 प्रमुख योजनाओं का गैर क्रियान्वयन तथा प्रमुख नीतिगत घोषणाओं की स्थिति

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए बजट प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे। वर्ष 2023-24 के दौरान, 413 योजनाओं/शीर्षों के तहत कुल प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) ₹ 10,323.77 करोड़ (मूल बजट का 2.56 प्रतिशत) अप्रयुक्त रह गए। विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रयुक्त बजट प्रावधानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार ने संशोधित अनुमानों में 148 योजनाओं के बजट प्रावधानों को वापस ले लिया और संशोधित अनुमान में 31 योजनाओं में टोकन बजट प्रावधान किए गए। यह इंगित करता है कि इन योजनाओं/शीर्षों के लिए प्रावधान वित्तीय आवश्यकताओं और विभागों की जरूरत के उचित मूल्यांकन के बिना किए गए थे।

इस संबंध में विभागों द्वारा दिए गए विभिन्न कारणों में निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलना, योजना की स्वीकृति नहीं मिलना, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करना, कार्य का निष्पादन न होना, भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होना, योजना प्रारम्भ न होना, आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कुछ मामलों में पिछले तीन वर्षों में लगातार अनावश्यक प्रावधान किए जा रहे थे, लेकिन उन्हें संबंधित विभाग द्वारा अनुदान की मांगों से हटाया नहीं गया, जैसाकि एसबीएम द्वारा अनिवार्य किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में सम्पूर्ण प्रावधानों को अभ्यर्पित किया गया। ऐसे मामलों को **परिशिष्ट 3.6** में सूचीबद्ध किया गया है।

● **वर्तमान एवं पिछले वित्तीय वर्षों के बजट भाषण में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन में कमी**

फरवरी 2023 में वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते समय, राज्य सरकार ने कई योजनाओं/नीतियों की घोषणा की थी। संबंधित विभागों ने इनमें से कुछ प्रमुख नीतिगत पहलों पर वर्तमान प्रगति की जानकारी (जून-सितंबर 2024) दी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन परियोजनाओं/नीतिगत पहलों पर सीमित या कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके अलावा, पिछले वित्तीय वर्षों में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं के संबंध में संबंधित विभागों से प्राप्त प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया कि पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दिया गया है।

पिछले और वर्तमान वर्षों के बजट भाषण की प्रमुख घोषणाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव बजट भाषण के दौरान घोषित पहलों के अनुश्रवण और अनुपालन में कमी का संकेत है।

3.4.3 व्यय का प्रवाह

व्यय की एक समान गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण घटक है। एसबीएम के अनुसार, राज्य की संभावित नकद शेष की स्थिति के पूर्वानुमान तैयार करने में वित्त विभाग की सहायता के लिए, सभी बजट नियंत्रक अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट तारीखों के अनुसार हर माह राजस्व और व्यय का अनुमानित प्रवाह दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचा जाना चाहिए। वित्त सचिव, राजस्थान सरकार ने निर्देशित किया (अगस्त 2023) कि व्यय के प्रवाह को इस प्रकार बनाए रखा जाए कि दिसंबर के अंत तक व्यय कुल व्यय का 90 प्रतिशत व्यय हो जाए, इसके अभाव में नियंत्रक अधिकारी/ डीडीओ उत्तरदायी होंगे।

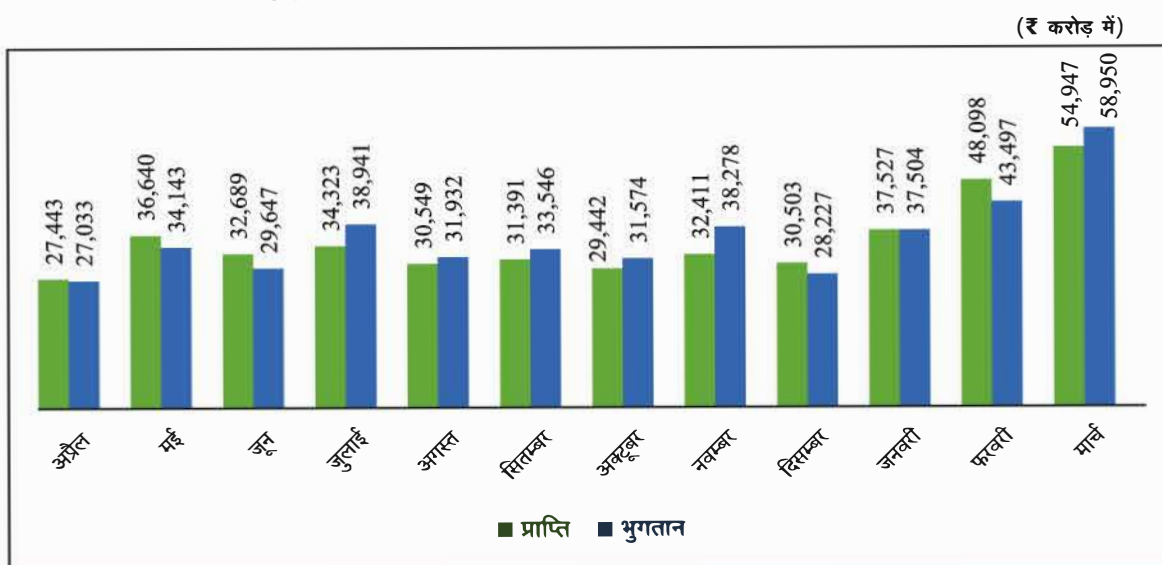
वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल व्यय (₹ 4,33,273.39 करोड़) का 32.30 प्रतिशत (₹ 1,39,951.20 करोड़) व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान व्यय की एक समान गति को बनाए नहीं रखा जा सका था। यद्यपि, यह भी देखा गया कि कुल प्राप्तियों

(₹ 4,25,961.60 करोड़) में से 33.00 प्रतिशत (₹ 1,40,571.47 करोड़) अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुई। तथापि, गत वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही में किए गए व्यय में 6.27 प्रतिशत (₹ 8,254.06 करोड़) की वृद्धि हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 23 अनुदानों के 78 उप-शीर्षों (जहां अंतिम तिमाही के दौरान व्यय ₹ 50 करोड़ से अधिक और कुल व्यय का 50 प्रतिशत से भी अधिक था) के अंतर्गत, कुल व्यय ₹ 21,947.57 करोड़ वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किए गए जो कुल व्यय (₹ 30,153.20 करोड़) का 72.78 प्रतिशत था और ₹ 16,714.10 करोड़ (55.43 प्रतिशत) केवल मार्च 2024 में व्यय किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में वर्णित है।

वर्ष 2023-24 के दौरान सरकारी खजाने में प्राप्तियों और संवितरणों का मासिक प्रवाह निम्नलिखित **चार्ट 3.5** में दिया गया है।

चार्ट 3.5: वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्तियों और संवितरणों का मासिक प्रवाह



स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना

चार्ट से पता चलता है कि वर्ष की पूर्व तिमाहियों (राशि) की तुलना में अंतिम तिमाही में व्यय (राशि) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय के स्वरूप से पता चला कि राज्य सरकार ने केवल मार्च महीने में ₹ 58,950.02 करोड़ का व्यय किया, जो कुल व्यय ₹ 4,33,273.39 करोड़ का लगभग 13.61 प्रतिशत था।

अगस्त 2023 के परिपत्र के अनुसार सभी बजट नियंत्रक अधिकारियों/विभागों को निर्देश दिए गए थे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय का निर्धारित प्रतिशत वर्ष की पहली तिमाही के अंत में 30 प्रतिशत, दूसरी तिमाही के अंत में 60 प्रतिशत और तीसरी तिमाही के अंत में 90 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए।

उन 11 प्रमुख शीर्षों का विवरण नीचे तालिका 3.11 में प्रदान किया गया है, जिनमें मार्च महीने के दौरान किया गया व्यय, कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था।

तालिका 3.11: वर्ष 2023-24 के दौरान मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले मुख्य शीर्ष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चतुर्थ तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च माह में व्यय
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	2.87	2.97	1.70	910.07	917.61	908.47	99.18	99.00
2.	3054	सड़कें और पुल	(-) 7.61	408.21	120.07	3,912.90	4,433.57	3,822.23	88.26	86.21
3.	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	23.13	50.08	22.27	221.13	316.61	174.78	69.84	55.20
4.	4220	सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.53	0.14	1.94	2.61	1.51	74.33	57.85
5.	4236	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	15.24	1.73	17.68	34.65	17.68	51.02	51.02
6.	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	3.12	3.12	3.12	100.00	100.00
7.	4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	15.50	50.99	(-) 12.92	38.80	92.37	38.80	42.00	42.00
8.	4885	उद्योग तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.12	5.13	5.25	4.87	97.71	92.76
9.	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	19.97	23.55	79.52	285.18	408.22	249.26	69.86	61.06
10.	6408	साद्य भंडारण और भंडागार के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	5.97	5.97	5.97	100.00	100.00
11.	6425	सहकारिता के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	100.00	100.00
		कुल	53.86	551.57	212.63	5,402.42	6,220.48	5,227.19		

स्रोत : कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हक) द्वारा प्रदत्त सूचना।

वर्ष के अंतिम महीने में किया गया प्रचुर व्यय, व्यय पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण और विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारियों के स्तर पर बजटीय नियंत्रण/प्रबंधन की कमी को दर्शाता है।

3.4.4 जेंडर अनुकूल बजट

राज्य का जेंडर बजट समग्र बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं के कल्याण के लिए तैयार किया जाता है। जेंडर बजट सरकारी बजट में लैंगिक विश्लेषण को एकीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। राज्य में जेंडर बजटिंग को राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है, जिसके तहत निर्दिष्ट विभागों के बजट नियंत्रक अधिकारियों को वार्षिक जेंडर बजट विवरण तैयार करने के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी किये गए बजट परिपत्र में दिए गए प्रारूपों में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

राज्य सरकार ने जेंडर बजट विवरण तैयार करने के लिए महिला अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया है। जेंडर बजट में सम्मिलित योजनाओं की श्रेणियां नीचे दी गई हैं:

अ	ऐसी योजनाएं जिनके अंतर्गत महिलाओं पर लक्षित व्यय 70 प्रतिशत से अधिक है।
ब	योजनाएं जिनके तहत महिलाओं पर लक्षित व्यय 70 प्रतिशत से कम है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, जेंडर बजट में 478 योजनाएँ/कार्यक्रम थे जिनमें 100 'अ' श्रेणी की योजनाएँ और 378 'ब' श्रेणी की योजनाएँ थी। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में जेंडर बजट के लिए ₹ 38,679.43 करोड़ आवंटित किए, जो वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रावधान (₹ 33,745.11 करोड़) से 15 प्रतिशत अधिक है। राज्य के कुल बजट² में जेंडर बजट का हिस्सा 7.66 प्रतिशत है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान जेंडर बजट के तहत धन का आवंटन और व्यय नीचे तालिका 3.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12: जेंडर बजटिंग की बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय की वर्ष-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	जेंडर बजट में शामिल योजनाओं में कुल बजट प्रावधान	जेंडर बजट की ऐसी योजनाओं में महिलाओं के लिए प्रावधान	योजनाओं में वास्तविक व्यय	व्यय का प्रतिशत
1.	2019-20	37,415.03	18,928.78	15,700.39	82.94
2.	2020-21	28,595.68	14,481.66	15,202.61	104.98
3.	2021-22	35,730.36	18,198.64	18,155.67	99.77
4.	2022-23	69,851.91	33,745.11	28,630.92*	84.84
5.	2023-24	76,614.07	38,679.43	33,812.88	87.42

स्रोत: बजट दस्तावेज़ और विभाग के प्रतिउत्तर

* व्यय 455 योजनाओं से संबंधित है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20, 2022-23 और 2023-24 के दौरान राज्य सरकार बजट आवंटन का 12 से 17 प्रतिशत तक उपयोग करने में असमर्थ रही।

आगे की जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, 12 विभागों द्वारा श्रेणी ए के तहत ₹161.66 करोड़ के बजट आवंटन के बावजूद 27 योजनाओं में और 29 विभागों द्वारा श्रेणी बी के तहत ₹ 952.92 करोड़ के बजट आवंटन के बावजूद 65 योजनाओं में शून्य व्यय किया गया है। जेंडर बजट के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं में बजट आवंटन के बावजूद शून्य व्यय का विवरण **परिशिष्ट 3.9** में दिया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं में टोकन प्रावधान किया तथा प्रावधान में वृद्धि किये बिना ही सम्पूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया।

यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने राज्य बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ₹ 256.51 करोड़ का प्रावधान किया, लेकिन संशोधित अनुमान में इसे कम कर दिया या शून्य कर दिया। ऐसी योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 3.10** में दिया गया है।

2. ₹ 5,04,970.13 करोड़

यह संबंधित विभागों/राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन की कमी के साथ-साथ राज्य में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए योजनाओं के अनुश्रवण में नोडल विभाग की विफलता को दर्शाता है।

3.4.5 चाइल्ड बजट

चाइल्ड बजट एक वित्तीय वर्ष के समग्र बजट से बाल केंद्रित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों पर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।

राज्य सरकार ने चाइल्ड बजट विवरण तैयार करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया है। राज्य में पहला चाइल्ड बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत किया गया था।

वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने चाइल्ड बजट के लिए ₹ 39,693.08 करोड़ आवंटित किए, जो वर्ष 2022-23³ की तुलना में 20.11 प्रतिशत अधिक था। चाइल्ड बजट वर्ष 2023-24 के कुल राज्य बजट⁴ का 7.86 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान चाइल्ड बजट के लिए आवंटित धनराशि की मात्रा और इसके विरुद्ध व्यय नीचे तालिका 3.13 में दिया गया है:

तालिका 3.13: वर्ष 2023-24 के दौरान चाइल्ड बजट प्रावधान और व्यय

	बजट प्रावधान	व्यय	बीई का प्रतिशत उपयोग
चाइल्ड बजट	39,693.08	28,322.73	71.35

स्रोत: वर्ष 2023-24 के बजट एवं वित्तियोग लेखा के अनुसार

वर्ष 2023-24 के दौरान, चाइल्ड बजट में 17 विभागों की 167 योजनाएँ/कार्यक्रम शामिल थे। इन योजनाओं के लिए ₹ 39,693.08 करोड़ के बजट प्रावधान के समक्ष 71.35 प्रतिशत बजट का उपयोग किया गया। आगे के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 167 योजनाओं में से 17 में ₹ 1,787.01 करोड़ के बजट प्रावधान के बावजूद विभिन्न विभागों⁵ द्वारा मात्र ₹ 245.62 करोड़ का उपयोग किया गया। जबकि 10 मामलों में शून्य व्यय हुआ, शेष योजनाओं में उपयोग 5.87 से 23.12 प्रतिशत के बीच रहा। ऐसी योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 3.11 में दिया गया है।

निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण ने सूचित किया (जुलाई 2024) कि समय पर बजट की अनुपलब्धता और लाभार्थियों द्वारा आवेदन में देरी के कारण शुभ लक्ष्मी योजना के तहत व्यय कम हुआ। विभिन्न विभागों/इकाइयों के अंतर्गत अन्य योजनाओं में कम/शून्य व्यय के कारण अपेक्षित है (नवम्बर 2024)।

3. ₹ 33,046.08 करोड़

4. ₹ 5,04,970.13 करोड़ (वित्तियोग लेखे)

5. अल्पसंख्यक विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, परिवार कल्याण विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, एकीकृत बाल विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कम/शून्य व्यय महिला एवं बाल विकास विभाग (नोडल विभाग) द्वारा उचित अनुश्रवण की कमी और योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति के संबंध में कार्यान्वयन विभागों की ओर से लापरवाही को दर्शाता है।

3.4.6 चयनित अनुदानों की समीक्षा

विस्तृत विश्लेषण के लिए अनुदान संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा अनुदान संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास का चयन विगत तीन वर्षों के बजट अनुमान के विरुद्ध किये गए व्यय के आधार पर किया गया था। इस विश्लेषण में बजट और व्यय, संशोधित अनुमानों के संबंध में प्राप्तियां, पुनर्विनियोजन के बाद आधिक्य व्यय, अभ्यर्पण, अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान, प्रावधानों का अप्रयुक्त रहना और इन अनुदानों के तहत निरंतर बचतों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

अनुदान संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

अनुदान 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई में वर्ष 2022-23 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी विभागों से संबंधित व्यय शामिल थे। राज्य बजट 2023-24 के बाद से, इस अनुदान को तीन अनुदानों में विभाजित किया गया है अर्थात् अनुदान 27-चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, अनुदान 28-चिकित्सा शिक्षा विभाग और अनुदान 29-आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा विभाग।

अनुदान 27-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सरकार का परम कर्तव्य एवं उद्देश्य अपने नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस कार्य को पूरा करने के लिए चिकित्सा विभाग राज्य के नागरिकों को उचित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सरकार की नीतियों के अनुसार योजनाएँ बनाता है और उन्हें कार्यान्वित करता है।

अनुदान 28-चिकित्सा शिक्षा विभाग का संचालन प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। विभाग इन कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों का प्रबंधन भी करता है। विभाग का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुशल एवं समयबद्ध मानव संसाधन उपलब्ध कराना, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों का संचालन, प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सामान्य, जटिल, गंभीर एवं संदर्भित मरीजों का संबंधित अस्पतालों के माध्यम से उपचार एवं इलाज करना है।

अनुदान 29 आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा विभाग सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। 'सभी के लिए स्वास्थ्य' के व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभाग आयुर्वेद,

होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा का प्रबंधन करता है। विभाग द्वारा आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा आदि के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सलाह एवं उपचार प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान इन अनुदानों के तहत समग्र बजटीय प्रावधान, व्यय और बचत नीचे **तालिका 3.14** में विस्तृत रूप से दी गई है:

तालिका 3.14: वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान बजटीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजटीय प्रावधान			व्यय	बचत (विचलन का प्रतिशत)	अभ्यर्पित राशि
	मूल	अनुपूरक	कुल			
राजस्व-दत्तमत						
2021-22	11,627.29	271.41	11,898.70	11,409.66	489.04 (4.11%)	485.97
2022-23	13,358.78	-	13,358.78	11,771.45	1,587.33 (11.88%)	1,586.13
2023-24	13,929.34	435.60	14,364.94	13,436.62	928.32(6.46%)	925.84
पूंजीगत-दत्तमत						
2021-22	491.97	727.33	1,219.30	1,157.82	61.49 (5.04%)	61.48
2022-23	862.12	600.04	1,462.16	743.29	718.88 (49.17%)	717.88
2023-24	2,437.08	80.55	2,517.63	1,201.13	1,316.51 (52.29%)	1,316.55

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेख

इस अनुदान के तहत बजट और व्यय की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि:

- अनुदान के राजस्व भाग के तहत वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचत 4.11 प्रतिशत से 11.88 प्रतिशत के मध्य थी।
- एसबीएम के अनुसार, जिन अनुदानों का उचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए। राजस्व भाग के तहत, वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान अंतिम बचत में से क्रमशः ₹ 3.07 करोड़, ₹ 1.20 करोड़ और ₹ 2.48 करोड़ की राशि अनभ्यर्पित रही। पूंजीगत भाग के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान अंतिम बचत में से, ₹ 1.00 करोड़ की राशि अनभ्यर्पित रही।
- राजस्व भाग में अंतिम बचत के मद्देनजर वर्ष 2021-22 और 2023-24 के दौरान क्रमशः ₹ 271.41 करोड़ और ₹ 435.60 करोड़ की राशि का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था। इसी प्रकार, पूंजीगत भाग में अंतिम बचत के मद्देनजर वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान क्रमशः ₹ 600.04 करोड़ और ₹ 80.55 करोड़ की राशि का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं आ सका।
- पूंजीगत भाग में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की अवधि के दौरान जहाँ ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत 49.17 प्रतिशत एवं 52.29 प्रतिशत रही।

इससे पता चलता है कि बजटीय नियंत्रण से संबंधित एसबीएम के प्रावधानों का विभाग द्वारा पालन नहीं किया गया था।

उल्लेखनीय बचतें

एसबीएम के अनुच्छेद 8.5 (8) में प्रावधान है कि बजट नियंत्रण अधिकारियों को विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के व्यय और भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर योजना विभाग को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 14 योजनाओं/कार्यक्रमों में ₹ 784.69 करोड़ की उल्लेखनीय बचत हुई (ऐसे मामलों में जहां बचत एक करोड़ रुपये से अधिक और कुल प्रावधान के 60 प्रतिशत से अधिक थी) जो कुल अनुदान /विनियोग के 59.80 प्रतिशत से 99.13 प्रतिशत तक रही। जिसका विवरण नीचे तालिका 3.15 में दिया गया है:

तालिका 3.15: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत पाई गई उल्लेखनीय बचतें

(₹ करोड़ में)					
क्र.सं.	शीर्ष का नाम	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	2210-02-101-03-01 आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उदयपुर	2.39	0.63	1.76	73.64
2.	2210-05-001-01 निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	32.61	7.90	24.71	75.77
3.	2211-105-03-11 असफल नसबंदी मामलों में मुआवजा	3.00	0.91	2.09	69.67
4.	2210-06-101-25-01 नेत्र पुनःप्राप्ति एवं नेत्र प्रत्यारोपण, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	7.00	0.60	6.40	91.43
5.	3055-800-10-01 मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, समर्पित सड़क सुरक्षा निधि के माध्यम से संचालित योजना	5.00	0.03	4.97	99.40
6.	4210-03-105-03-90 एलोपैथी, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, निर्माण कार्य	5.00	0.66	4.34	86.80
7.	4210-03-105-04-90 एलोपैथी, मेडिकल कॉलेज अजमेर, निर्माण कार्य	4.64	0.08	4.56	98.28
8.	4210-03-105-05-90 एलोपैथी, मेडिकल कॉलेज जोधपुर, निर्माण कार्य	5.95	1.23	4.72	79.33
9.	4210-03-105-07-01 अन्य व्यय, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	54.70	11.51	43.19	78.96
10.	4210-03-105-07-05 अन्य व्यय, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	45.00	2.98	42.02	93.38
11.	4210-03-105-11-90 नवीन मेडिकल कॉलेज, निर्माण कार्य	859.00	323.44	535.56	62.35
12.	4210-03-105-12-01 राज्य कैंसर संस्थान, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	40.90	16.44	24.46	59.80
13.	4210-03-105-18-01 यूजी सीटों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेज का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन- द्वितीय चरण, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर	57.50	3.31	54.19	94.24
14.	4210-03-105-21-01 एलोपैथी, न्यू पब्लिक हेल्थ कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	32.00	0.28	31.72	99.13
	कुल	1154.69	370.00	784.69	

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेख

बजट नियंत्रक अधिकारियों ने बचत के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसे कि (i) अपेक्षित मामलों की तुलना में जिलों से असफल नसबंदी के कम मामलों की प्राप्ति, (ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा चल रहे कार्यों का कम निष्पादन और निर्माण के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग से स्वीकृति नहीं मिलना तथा (iii) नए शवगृह और ओवरहेड पानी की टंकी के निर्माण की घोषणा न होना।

बजट आवंटन के समक्ष उल्लेखनीय बचतें दर्शाती हैं कि बजट प्रतिपादन/अनुदानों की मांग तैयार करने और इनके अनुश्रवण के संबंध में एसबीएम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। यह विभाग के स्तर पर कार्य की प्रगति पर कमजोर अनुश्रवण का भी संकेत देता है।

निरन्तर बचतें

एसबीएम के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने हेतु विगत दो से तीन वर्षों में किए गए वास्तविक व्यय और वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और व्यय के अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए।

अनुदान के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक निरन्तर बचतों (₹ एक करोड़ से अधिक) वाली योजनाएं थी, जो नीचे तालिका 3.16 में दी गई हैं:

तालिका 3.16: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत पाई गयी निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	शीर्ष का नाम	बचत (बचत का प्रतिशत)		
		2021-22	2022-23	2023-24
1.	2210-04-800-01-01 अन्य व्यय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से आयुर्वेद विभाग	0	74.88 (100)	43.49 (58.07)
2.	2211-105-03-11 असफल नसबंदी मामलों में मुआवजा (परिवहन)	3.26 (72.37)	1.73 (57.62)	2.09 (69.51)
3.	2211-800-03-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	25.74 (57.64)	47.61 (100)	40.77 (100)
4.	4210-03-105-07-01 मेडिकल कॉलेज, जयपुर का एलोपैथी एवं अन्य व्यय	1.22 (12.65)	4.80 (13.65)	43.19 (78.95)
5.	4210-03-105-07-06 मेडिकल कॉलेज, कोटा का एलोपैथी एवं अन्य व्यय	4.50 (64.98)	1.17 (37.03)	4.58 (54.64)
6.	4210-03-105-13-01 तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	5.00 (100)	7.28 (100)	6.15 (100)
7.	4210-03-105-14-01 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1.81 (72.22)	1.74 (100)	2.34 (100)
8.	4210-03-105-15-02 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में यूजी सीटों में बढ़ोतरी	13.00 (100)	5.20 (40)	5.00 (27.78)
9.	4210-03-105-16-01 पीएमएसएसवाई के तहत मेडिकल कॉलेज का उन्नयन चरण III, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	2.00 (100)	4.35 (100)	4.35 (100)

क्र. स.	शीर्ष का नाम	बचत (बचत का प्रतिशत)		
		2021-22	2022-23	2023-24
10.	4210-03-105-18-02 पीजी सीटों में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन – द्वितीय चरण, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	23.39 (93.58)	9.00 (39.13)	20.00 (36.36)
11.	4210-03-105-18-03 पीजी सीटों में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन - द्वितीय चरण, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	8.49 (42.43)	20.81 (51.71)	18.64 (35.52)
12.	4210-03-105-18-05 पीजी सीटों में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन - द्वितीय चरण, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	10.13 (56.26)	6.00 (33.34)	1.00 (5.26)
13.	4210-03-105-21-01 न्यू पब्लिक हेल्थ कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	30.00 (100)	22.49 (89.97)	31.72 (99.13)
14.	4210-03-105-24-01 पी.जी. मातृत्व एवं नवजात विज्ञान संस्थान, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	5.00 (83.33)	1.00 (16.67)	19.20 (100)
15.	4210-03-105-25-01 क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	6.00 (60)	5.00 (13.51)	46.60 (60.92)

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेख

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसे कि (i) अपेक्षित मामलों की तुलना में जिले से असफल नसबंदी के कम मामलों की प्राप्ति; (ii) निर्माण कार्य का कम निष्पादन; (iii) तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र के तहत कैंसर रोगियों के इलाज के लिए बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए निर्माण और सामग्री की आपूर्ति से संबंधित कार्यों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलना; (iv) सुपर स्पेशलिटी विंग के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी को निधियां जारी न करना; (v) यूजी सीटों में वृद्धि के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए स्वीकृति न मिलना; (vi) एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में धनराशि का गैर-हस्तांतरण; (vii) भारत सरकार द्वारा निधि जारी न करना और (viii) कार्यान्वयन एजेंसी को निधि के हस्तांतरण के लिए स्वीकृति न मिलना, आदि।

निरन्तर बचतें दर्शाती हैं कि विभाग ने इन विकास कार्यों/कार्यक्रमों/योजनाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध निधियों का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया। यह राज्य सरकार द्वारा विनियोग अधिनियम में निधियों की आवश्यकता के अधिक मूल्यांकन किये जाने और व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण नहीं किये जाने की ओर भी संकेत करता है।

सम्पूर्ण प्रावधानों का अनुपयोजित रहना

जैसा कि राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 13.6 में प्रावधित है, व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। इस अनुदान के अंतर्गत ऐसे प्रकरण, जहाँ वर्ष 2023-24 के दौरान 100 प्रतिशत बचतें थी, नीचे तालिका 3.17 में प्रस्तुत किये गये हैं:

तालिका 3.17: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोजित प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
1.	2210-05-105-03-01 स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, आरयूएचएस, जयपुर को अनुदान	55.20	0.00	55.20
2.	2210-05-105-08-01 तृतीयक कैसर देसभाल केंद्र, झालावाड़ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सोसायटी	18.37	0.00	18.37
3.	2210-05-105-09-01 यूजी सीटों में बढ़ोतरी, झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी	3.43	0.00	3.43
4.	2210-05-105-09-02 यूजी सीटों में बढ़ोतरी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर	19.00	0.00	19.00
5.	2211-105-03-12 जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, शुभ लक्ष्मी योजना	27.45	0.00	27.45
6.	2211-800-02-02 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)	154.57	0.00	154.57
7.	2211-800-03-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)	40.77	0.00	40.77
8.	4210-01-116-16-01 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)	7.20	0.00	7.20
9.	4210-03-101-01-90 विकित्सा शिक्षा भवन निर्माण कार्य	4.59	0.00	4.59
10.	4210-03-105-11-01 नये मेडिकल कॉलेज, नये मेडिकल कॉलेज हेतु पूंजीगत व्यय	128.30	0.00	128.30
11.	4210-03-105-13-01 तृतीयक कैसर देसभाल केंद्र, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	6.15	0.00	6.15
12.	4210-03-105-14-01 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना, मेडिकल कॉलेज बीकानेर	2.34	0.00	2.34
13.	4210-03-105-15-06 यूजी सीटों में बढ़ोतरी, नए मेडिकल कॉलेज के लिए पूंजीगत व्यय	11.70	0.00	11.70
14.	4210-03-105-07-03 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	2.25	0.00	2.25
15.	4210-03-105-16-01 पीएमएसएसवाई के तहत मेडिकल कॉलेज का उन्नयन तृतीय चरण, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	4.35	0.00	4.35
16.	4210-03-105-24-01 पी.जी. मातृत्व एवं नवजात विज्ञान संस्थान, मेडिकल कॉलेज जोधपुर	19.20	0.00	19.20
	कुल	504.87	0.00	504.87

स्रोत: विनियोग लेख

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसे कि (i) राज्य की आयोजना सीमा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक होने के कारण राज्य निधि और केंद्रीय सहायता के अनुमान में कमी; (ii) राज्य सरकार से वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होना; (iii) निर्माण कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी को धनराशि जारी न करना, आदि।

इससे पता चलता है कि बजट प्रावधान वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना तदर्थ आधार पर तैयार किया गया था। पूंजीगत शीर्षों में संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि पूंजीगत कार्यों के प्रस्ताव उचित योजना और व्यवहार्यता का अध्ययन किये बिना बनाए गए थे। निधियों का उपयोग न होना विभाग द्वारा निधियों के उपयोग में प्रणालीगत कमी को भी इंगित करता है और योजनाओं के उद्देश्य की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

अनुदान में टोकन प्रावधान

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 13.14 के अनुसार, एक उप-शीर्ष या विनियोग की अन्य इकाई जो लगातार तीन वर्षों तक निष्क्रिय रहती है, को संबंधित विभाग की अनुदान की मांग से हटा दिया जाना चाहिए। अनुदान की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2021-24 के दौरान, इस अनुदान के तहत 149 शीर्ष⁶ में कुल 970 शीर्ष⁷ में से प्रतीक प्रावधान किया गया, जो पुनर्विनियोजन के माध्यम से बढ़ाया नहीं गया और वित्तीय वर्ष के अंत में इन सभी शीर्षों में प्रतीक प्रावधानों को अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजित कर दिया गया। यह इंगित करता है कि विभाग में प्रावधानों के उचित आंकलन और वित्तीय नियोजन के निष्पादन का अभाव था।

व्यय का प्रवाह

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, इस अनुदान के अन्तर्गत छह उप-शीर्षों (जहां या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अथवा अंतिम माह के दौरान 40 प्रतिशत से ज्यादा व्यय किया गया) के संबंध में, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹142.55 करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जो कुल व्यय (₹228.77 करोड़) का 62.31 प्रतिशत था। इसमें से ₹107.33 करोड़ (46.92 प्रतिशत) केवल मार्च 2024 में व्यय किए गए जैसा कि नीचे दी गई तालिका 3.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: वर्ष की अंतिम तिमाही और मार्च माह के दौरान व्यय का प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (उप शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 के दौरान व्यय	कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय से प्रतिशत	
					जनवरी-मार्च 2024	मार्च 2024
1.	4210-01-110-07 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य	21.77	14.77	42.32	51.44	34.90
2.	4210-01-200-01 शुद्ध के लिए युद्ध अभियान	10.04	10.04	10.54	95.26	95.26
3.	4210-03-105-07 अन्य व्यय	14.53	11.11	25.28	57.48	43.93
4.	4210-03-105-12 राज्य कैसर संस्थान	12.76	12.76	16.44	77.61	77.61
5.	4210-03-105-18 मेडिकल कॉलेज का सुदृढीकरण एवं उन्नयन	61.30	43.30	98.44	62.27	43.99
6.	4210-02-101-06 आयुर्वेद विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	22.15	15.35	35.75	61.96	42.94
	कुल	142.55	107.33	228.77	62.31	46.92

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा द्वारा प्रदत्त सूचना।

6 2021-22 (46 शीर्षों), 2022-23 (49 शीर्षों), 2023-24 (54 शीर्षों)

7 2021-22 (313 शीर्षों), 2022-23 (323 शीर्षों), 2023-24 (334 शीर्षों),

वर्ष की अंतिम तिमाही/माह के दौरान विभाग द्वारा किया गया प्रचुर व्यय, वर्ष के दौरान प्रगतिशील व्यय पर प्रभावी नियंत्रण की कमी का द्योतक है।

आधिक्य व्यय

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 24.1 में यह भी प्रावधान है कि व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एसबीएम के अनुसार, यह आवश्यक है कि विवरण अत्यंत सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि आधिक्य और बचत के त्रुटिपूर्ण विवरण से न केवल वित्त विभाग को असुविधा होती है, बल्कि इससे आधिक्य व्यय भी हो सकता है जिसकी जिम्मेदारी संबंधित बजट नियंत्रक अधिकारी की होगी।

विनियोग लेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि कुछ शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध बजट से अधिक व्यय किया गया, हालाँकि समग्र अनुदान में कोई आधिक्य नहीं था। विवरण नीचे तालिका 3.19 में दिया गया है:-

तालिका 3.19: अनुदान के अंतर्गत शीर्षों में आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण/ पुनर्विनियोजन	उपलब्ध निधियाँ	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1.	2210-02-101-02-01 -अस्पताल एवं औषधालय (निदेशक, आयुर्वेद विभाग के माध्यम से)	27.57	17.10	44.67	44.80	0.13
2.	2211-800-02-03 -राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	1755.65	121.83	1877.48	1891.28	13.80
3.	4210-01-110-01-90 -अस्पताल एवं औषधालय, आयुर्वेद (फार्मसी सहित) निर्माण कार्य	0.51	(-)0.07	0.43	0.49	0.06

स्रोत: विनियोग लेखे

यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा इन शीर्षों के लिए पर्याप्त निधि की उपलब्धता के बिना व्यय किया गया था जो अपर्याप्त बजटीय और व्यय पर नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

प्रत्याशित बचतों का अनभ्यर्पण

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 23.16 के अनुसार, जिन अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए। तदनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रत्याशित बचतें जैसे ही दर्शित हो तो उन्हें वर्ष समाप्ति का इंतजार किए बिना, तुरंत अभ्यर्पित कर देना चाहिए।

अनुदान की जांच के दौरान यह देखा गया कि दो शीर्षों के तहत (जहां ₹ 50 लाख और उससे अधिक की बचत) ₹ 41.50 करोड़ की बचत के समक्ष, ₹ 14.53 करोड़ का अभ्यर्पण नहीं किया गया था, जैसाकि नीचे तालिका 3.20 में दिया गया है:

तालिका 3.20: शीर्षों का विवरण जहां बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	बचत	अभ्यर्पित/ पुनर्विनियोजन राशि	अन-अभ्यर्पित राशि
1.	2211-800-03-03 (अनुदान संस्था 27) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	40.77	(-) 26.97	13.80
2.	2210-05-105-01-22 (अनुदान संस्था 28) सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	0.73	0.00	0.73
	कुल	41.50	(-) 26.97	14.53

यह कमजोर व्यय प्रबंधन और अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है। शीघ्र समर्पण से संसाधनों की कमी वाले अन्य क्षेत्रों में संसाधनों का अधिक लाभदायक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता था।

अस्पष्टीकृत पुनर्विनियोग

राज्य बजट नियमावली का अनुच्छेद 23.15.6 परिकल्पित करता है कि विभाग को प्रत्याशित आधिक्य या बचतों के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2024) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि पुनर्विनियोग आदेशों में 460 स्पष्टीकरणों में से 247 मामलों को स्पष्ट रूप से पुनर्विनियोजन आदेशों में समझाया गया था। शेष 213 मामलों में स्पष्टीकरण सामान्य प्रकृति जैसे 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम मूल्यांकन पर आधारित' और 'व्यय पर प्रतिबंध' के थे।

गैर-विशिष्ट स्पष्टीकरण प्रदान करने की उपरोक्त प्रवृत्ति राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित पारदर्शिता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत व्यय की अनियमित बुकिंग

राज्य के वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में कुछ पूंजीगत शीर्षों के तहत राशि ₹ 20.08 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसका उद्देश्य स्वायत्त निकायों और संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करना था, यद्यपि, इस पर पहले आपत्ति की गई थी और वर्ष 2021-22 के दौरान महालेखाकार (लेखा एवं हक) के कार्यालय द्वारा इन पूंजीगत शीर्षों को खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। इन शीर्षों का विवरण नीचे **परिशिष्ट 3.12** में दिया गया है।

ये पूंजीगत शीर्ष स्वायत्त संस्थानों/निकायों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से खोले गए थे। यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस) -2 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कानूनी/वैधानिक स्थिति वाले निकायों/संस्थानों जैसे को विश्वविद्यालयों, संस्थानों/महाविद्यालयों,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को केवल अनुदान, निवेश या ऋण के रूप में धन जारी किया जाने के प्रावधानों के अनुसरण में यह अनियमित था। इस प्रकार, नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी सहायतार्थ अनुदान को, उद्देश्य की परवाह किए बिना, राज्य सरकार के लेखों में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान भी इन पूंजीगत शीर्षों के तहत प्रावधान किया और व्यय दर्ज किया। यह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, सरकारी लेखा नियम, 1990 और भारत सरकार लेखा मानकों (आईजीएस-2) के उल्लंघन में व्यय की अनियमित बुकिंग और गलत वर्गीकरण को इंगित करता है।

अनुदान संख्या 29: नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या 29 को अनुदान संख्या 39 (शहरी विकास एवं आवासन विभाग) एवं अनुदान संख्या 40 (स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग) में विभाजित किया गया।

शहरी विकास एवं आवासन (यू.डी.एच.) विभाग राजस्थान के शहरी क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है। यूडीएच विभाग शहरों की व्यवस्थित योजना एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख शासन सचिव, **स्थानीय स्वायत्त शासन (एल.एस.जी.) विभाग**, राजस्थान सरकार समस्त नगर पालिका निकायों का प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रक विभाग है। यह राज्य की सभी 282 नगर पालिकाओं के लिए राज्य स्तर पर अनुश्रवण और समन्वय कार्य भी करता है। विभाग का अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव होता है।

वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान इस अनुदान के तहत समग्र बजटीय स्थिति, व्यय और बचत का विवरण नीचे तालिका 3.21 में है:

तालिका 3.21: वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान अनुदान के तहत बजटीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजटीय प्रावधान			व्यय	बचत (प्रतिशत)	अभ्यर्पित राशि
	मूल	अनुपूरक	कुल			
राजस्व-दत्तमत						
2021-22	6,034.41	₹ 2000	6,034.41	5,154.35	880.05 (14.58%)	876.01
2022-23	4,828.13	1,132.30	5,960.43	5,092.18	868.24 (14.56%)	868.24
2023-24	6,053.02	878.03	6,931.05	5,126.53	1,804.52 (26.03%)	1,804.52
पूंजीगत-दत्तमत						
2021-22	1,323.84	2,158.99	3,482.83	3,114.95	367.88 (10.56%)	357.82
2022-23	1,549.82	1,290.33	2,840.15	1,952.44	887.71 (31.25%)	890.50
2023-24	4,589.75	58.41	4,648.16	2,029.86	2,618.29 (56.32%)	2,618.97

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान:

- अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचत 14.56 प्रतिशत से 26.03 प्रतिशत के मध्य थी।

- एसबीएम के अनुसार, जिन अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सका, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिये। वर्ष 2021-22 के दौरान अंतिम बचत में से, राजस्व भाग के तहत ₹ 4.04 करोड़ और पूंजीगत भाग के तहत ₹ 10.06 करोड़ की राशि अनभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत भाग के तहत ₹ 890.50 करोड़ का अभ्यर्पण बचत से ज्यादा था।
- वर्ष 2023-24 के दौरान अंतिम राजस्व भाग में ₹ 878.03 करोड़ और पूंजीगत भाग में ₹ 58.41 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं किया जा सका।
- पूंजीगत भाग में, कुल बजट के 10.56 प्रतिशत से 56.32 प्रतिशत तक ₹ 300 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत हुई।

इससे पता चलता है कि बजटीय नियंत्रण से संबंधित एसबीएम के प्रावधानों का संबंधित विभागों द्वारा पालन नहीं किया गया था।

उल्लेखनीय बचतें

एसबीएम का अनुच्छेद 13.7 प्रावधित करता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए वास्तविक व्यय और चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यह पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 24 योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत ₹ 4,617.72 करोड़ की उल्लेखनीय बचतें, कुल अनुदान/विनियोग के 32 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक (ऐसे मामलों में जहां बचत एक करोड़ रुपये से अधिक थी और कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक थी) हुई थी। जिसका विवरण नीचे तालिका 3.22 में दिया गया है:

तालिका 3.22: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत पाई गई उल्लेखनीय बचतें

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	शीर्ष/योजना का नाम	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	2217-05-190-02-03 अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	4.12	1.37	2.75	66.75
2.	2217-80-191-14-01 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	263.88	140.72	123.16	46.67
3.	2217-80-191-50-01 मिलियन प्लस शहरों (सामान्य) में वायु सुधार के लिए अनुदान	106.47	17.52	88.95	83.54
4.	2217-80-191-50-04 मिलियन प्लस शहरों (सामान्य) को पीने के पानी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनुदान	415.58	201.95	213.63	51.41
5.	2217-80-191-50-07 गैर-मिलियन शहरों (सामान्य) के लिए अप्रतिबद्ध अनुदान	29.09	13.61	15.48	53.21
6.	2217-80-191-50-10 गैर-मिलियन से अधिक शहरों (सामान्य) में जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनिवार्य अनुदान	43.63	20.41	23.22	53.22

क्र. सं.	शीर्ष/योजना का नाम	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
7.	2217-80-191-51-01 सड़कों का नवीनीकरण/सुधार मरम्मत (सामान्य)	192.33	82.43	109.90	57.14
8.	2217-80-192-14-01 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान (सामान्य)	698.05	473.00	225.04	32.24
9.	2217-80-192-55-01 गैर-मिलियन शहरों (सामान्य) के लिए अप्रतिबद्ध अनुदान	266.01	125.97	140.04	52.64
10.	2217-80-192-55-04 गैर-मिलियन से अधिक शहरों (सामान्य) में जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनिवार्य अनुदान	587.97	188.95	399.02	67.86
11.	2217-80-192-56-01 सड़कों का नवीनीकरण/सुधार मरम्मत (सामान्य)	288.50	123.64	164.86	57.14
12.	3475-108-02-01 प्रशासनिक व्यय	2.91	1.29	1.62	55.61
13.	3475-108-03-01 इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सहायता	14.00	0.09	13.91	99.36
14.	3475-108-04-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से	440.00	203.07	236.93	53.85
15.	3475-191-02-01 विकास कार्य	11.71	5.06	6.66	56.87
16.	3475-192-02-01 विकास कार्य	27.33	11.26	16.08	58.84
17.	4217-03-800-01-02 शहरी जनसहभागी योजना	2.06	0.28	1.78	86.41
18.	4217-03-800-02-07 विभिन्न शहरी निकायों के लिए	47.50	2.41	45.09	94.93
19.	4217-60-050-04 राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण (ईएपी) निर्माण कार्य	145.33	93.25	52.08	35.84
20.	4217-60-051-03-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	10.00	5.00	5.00	50.00
21.	4217-60-051-07-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	137.38	67.75	69.63	50.68
22.	4217-60-051-09-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	2,080.65	237.67	1,842.98	88.58
23.	4217-60-051-10-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	772.00	40.93	731.07	94.70
24.	4217-60-051-12-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	220.10	131.27	88.84	40.36
	कुल	6,806.60	2,188.90	4,617.72	

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेख।

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया जैसे कि (i) भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और, (ii) विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन, आदि। हालाँकि, इसके विस्तृत कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये हैं।

बजट आवंटन के समक्ष उल्लेखनीय बचतों से पता चलता है कि बजट प्रतिपादन/अनुदानों की मांग तैयार करने और इनके अनुश्रवण के संबंध में एसबीएम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। यह कार्यों की प्रगति के स्तर पर संबंधित विभागों के कमजोर अनुश्रवण को भी दर्शाता है।

निरन्तर बचतें

एसबीएम के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने हेतु विगत दो से तीन वर्षों में किए गए वास्तविक व्यय और वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और व्यय के अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक निरन्तर बचतों (₹ 10 लाख और अधिक) वाली योजनाएं थी, जो नीचे तालिका 3.23 में दर्शाई गई है:

तालिका 3.23: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत पायी गयी निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बचत (बचत का प्रतिशत)		
		2021-22	2022-23	2023-24
1.	2217-05-190-02-03 अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड(सामान्य)	-	0.98 (23.67 %)	2.75 (66.67%)
2.	2217-80-001-04 राजस्थान नगर पालिका सेवा चयन आयोग-(अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक)	-	0.09(18.22%)	0.14(26.04%)
3.	2217-80-001-06-01 स्थापना व्यय- प्रतिबद्ध	1.79(13.69%)	3.72(22.74%)	2.34(14.13%)
4.	2217-80-191-14-01 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	-	32.21(12.21%)	123.16(46.67%)
5.	2217-80-191-50-07 गैर-मिलियन शहरों (सामान्य) के लिए अप्रतिबद्ध अनुदान	15.19(52.18%)	1.26(4.35%)	15.48(53.21%)
6.	2217-80-191-50-10 गैर-मिलियन शहरों (सामान्य) के लिए पानी पीने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनिवार्य अनुदान	22.78(52.18%)	1.88(4.35%)	23.22(53.21%)
7.	2217-80-192-14-01 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत अनुदान (सामान्य)	-	67.07(9.61%)	225.04(32.24%)
8.	2217-80-192-55-01 गैर-मिलियन शहरों (सामान्य) के लिए अप्रतिबद्ध अनुदान	119.58(49.74%)	125.72(33.75%)	140.04(52.64%)
9.	2217-80-192-55-04 गैर-मिलियन शहरों (सामान्य) के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनिवार्य अनुदान	179.37(49.74%)	188.57(33.75%)	399.01(67.86%)
10.	4217-03-800-01-02 शहरी जनसहभागी योजना	-	2.40(70.00%)	1.78(86.57%)
11.	4217-03-800-02-07 विभिन्न शहरी निकायों के लिए	26.04(84.26%)	3.28(95.60%)	45.09(94.93%)
12.	4217-60-051-03-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	-	8.59(31.25%)	5.00(50.00%)
13.	4217-60-051-07-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	58.97(51.46%)	75.26(45.65%)	69.63(50.68%)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बचत (बचत का प्रतिशत)		
		2021-22	2022-23	2023-24
14.	4217-60-051-09-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	-	468.96(87.73%)	1842.98(88.58%)

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेख।

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी माना जैसे कि (i) भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और, (ii) विभाग द्वारा कार्यों का कम/गैर-निष्पादन। हालाँकि, इसके विस्तृत कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये हैं।

निरन्तर बचतें दर्शाती हैं कि विभाग ने इन विकास कार्यों/कार्यक्रमों/योजनाओं के सम्बन्ध में बजट में उपलब्ध निधियों का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया। यह राज्य सरकार द्वारा विनियोग अधिनियम में निधियों की आवश्यकता के अधिक आंकलन किये जाने और व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण नहीं किये जाने की ओर भी संकेत करता है।

सम्पूर्ण प्रावधानों का अनुपयोजित रहना

जैसाकि राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 13.6 में प्रावधित है कि, व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। इस अनुदान के अंतर्गत ऐसे प्रकरण, जहाँ वर्ष 2023-24 के दौरान 100 प्रतिशत बचतें थी, नीचे तालिका 3.24 में प्रस्तुत किये गये हैं:

तालिका 3.24: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोजित प्रावधान

(₹ करोड़ में)				
क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
1.	2217-05-190-02-08 जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड(सामान्य)	6.87	0.00	6.87
2.	2217-05-190-02-11 कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड(सामान्य)	3.43	0.00	3.43
3.	2217-05-190-02-17 उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड(सामान्य)	4.81	0.00	4.81
4.	2217-05-190-02-20 भरतपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)	2.75	0.00	2.75
5.	2217-05-190-02-23 राजस्थान शहरी परिवहन निगम (सामान्य)	50.00	0.00	50.00
6.	2217-80-191-14-04 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहन अनुदान	13.89	0.00	13.89
7.	2217-80-191-50-16 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए अनुदान (सामान्य)	7.57	0.00	7.57
8.	2217-80-191-52-01 चारदीवारी क्षेत्र में भवनों का संरक्षण (सामान्य)	2.40	0.00	2.40
9.	2217-80-191-53-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग (सामान्य)	41.21	0.00	41.21
10.	2217-80-191-54-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग (सामान्य)	17.24	0.00	17.24

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
11.	2217-80-192-14-04 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहन अनुदान	36.74	0.00	36.74
12.	2217-80-192-55-10 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए अनुदान (सामान्य)	69.24	0.00	69.24
13.	2217-80-192-57-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग (सामान्य)	96.17	0.00	96.17
14.	2217-80-192-60-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग (सामान्य)	5.00	0.00	5.00
15.	2217-80-192-61-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग (सामान्य)	13.00	0.00	13.00
16.	3475-108-02-02 आई.इ.सी. गतिविधियाँ	0.25	0.00	0.25
17.	4217-60-051-05-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	1.00	0.00	1.00
18.	4217-60-051-06-01 स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	68.41	0.00	68.41
19.	4217-60-051-08-02 नगर विकास एवं आवास विभाग	240.42	0.00	240.42
20.	4217-60-051-15-01 नगर विकास एवं आवासन विभाग	13.00	0.00	13.00
	कुल	693.40	0.00	693.40

स्रोत: विनियोग लेखें

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी माना जैसे कि (i) निर्माण कार्य का गैर-निष्पादन; (ii) अनुदान जारी न होना; (iii) नई योजनाओं का प्रारम्भ न होना; और (iv) भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना, आदि।

संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि पूंजीगत कार्यों के प्रस्ताव उचित नियोजन और संभाव्यता अध्ययन के बिना तैयार किये गए थे। निधियों का उपयोग न करना भी विभाग द्वारा धन के उपयोग में प्रणालीगत कमी को दर्शाता है जिससे इन योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अनुदान में टोकन प्रावधान

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 13.14 के अनुसार, एक उप-शीर्ष या विनियोग की अन्य इकाई जो लगातार तीन वर्षों तक निष्क्रिय रहती है को संबंधित विभाग की अनुदान की मांग से हटा दिया जाना चाहिए। अनुदानों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान इस अनुदान के तहत 248 मदों⁸ में कुल 491 मदों⁹ में से प्रतीक प्रावधान किये गए, जो कि पुनर्विनियोजन के माध्यम बढ़ाया नहीं गया और वित्तीय वर्ष के अंत में इन सभी शीर्षों में प्रतीक प्रावधानों को समर्पित/पुनर्विनियोजित किया गया। इससे दर्शाता है कि विभाग में प्रावधानों के उचित आंकलन और वित्तीय नियोजन के निष्पादन का अभाव था।

8. 2021-22 (66 शीर्ष), 2022-23 (90 शीर्ष), 2023-24 (92 शीर्ष)

9. 2021-22 (156 शीर्ष), 2022-23 (157 शीर्ष), 2023-24 (178 शीर्ष)

व्यय का प्रवाह

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही के दौरान सात उप-शीर्षों के तहत 25 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया था। इन उप-शीर्षों के अंतर्गत व्यय का विवरण नीचे तालिका 3.25 में दिया गया है:

तालिका 3.25: वर्ष की अंतिम तिमाही और मार्च माह के दौरान व्यय का प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (उप शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 के दौरान व्यय	कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय से प्रतिशत	
					जनवरी-मार्च 2024	मार्च 2024
1.	2217-05-190-02 राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास निधि से संचालित योजना	51.50	33.50	118.49	43.46	28.27
2.	2217-05-800-01 स्मार्ट सिटी	98.00	98.00	98.00	100	100
3.	2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत अनुदान	135.80	124.74	473.00	28.71	26.37
4.	4217-60-051-09 कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) 2.0	204.84	147.84	237.67	86.19	62.20
5.	5055-190-02 राजस्थान अवसंरचना परिवहन विकास निधि	311.47	207.72	622.72	50.02	33.36
6.	2217-80-797-03 राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास निधि	763.49	763.49	763.50	100	100
7.	2217-80-797-04 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं	68.69	68.69	68.69	100	100
	कुल	1,633.79	1,443.98	2,382.07		

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा द्वारा प्रदत्त सूचना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन उप-शीर्षों के तहत, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹ 1,633.79 करोड़ का व्यय किया गया था, जो कि वर्ष 2023-24 के दौरान इन उप-शीर्षों के कुल व्यय (₹ 2,382.07 करोड़) का 68.59 प्रतिशत था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि तीन उप-शीर्षों के अंतर्गत 100 प्रतिशत व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था।

वर्ष की अंतिम तिमाही/माह के दौरान संबंधित विभागों के डीडीओ/सीसीओ द्वारा किया गया प्रचुर व्यय, वर्ष के दौरान प्रगतिशील व्यय पर उनके प्रभावी नियंत्रण की कमी का द्योतक है।

आधिक्य व्यय

एसबीएम के अनुच्छेद 8.5(5) के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो। एसबीएम के अनुच्छेद 24.1 में यह भी प्रावधान है कि व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं

किया गया है। एसबीएम के अनुसार, यह आवश्यक है कि विवरण अत्यंत सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि आधिक्य और बचत के त्रुटिपूर्ण विवरण से न केवल वित्त विभाग को असुविधा होती है, बल्कि इससे आधिक्य व्यय भी हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित बजट नियंत्रक अधिकारी की होगी।

वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि इस अनुदान के कुछ शीर्षों के तहत प्रावधान से अधिक व्यय किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका 3.26 में दिया गया है:

तालिका 3.26: अनुदान के अंतर्गत मदों में आधिक्य व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	समर्पण(-) / पुनर्विनियोग	निधि की उपलब्धता	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1.	2217-80-001-04 राजस्थान नगरपालिका सेवा चयन आयोग (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक)	55.13	(-) 14.36	40.77	40.77	₹ 491
2.	2217-80-192-14-01 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत अनुदान(सामान्य)	69,804.51	(-) 22,508.06	47,296.45	47,300.33	3.88
3.	4217-60-050-06-01 कार्यक्रम ऋण	15,355.87	(-) 285.68	15,070.19	15,070.19	₹ 523
4.	4217-60-050-07-01 चतुर्थ चरण (ईएपी)	41,562.04	(-) 4,962.65	36,599.39	36,599.39	₹ 236
5.	4217-60-051-11-01 आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण किस्त-2(ईएपी)	17,109.37	9,388.96	26,498.33	26,575.44	77.11

इससे पता चलता है कि विभाग द्वारा इन शीर्षों के लिए पर्याप्त निधि की उपलब्धता के बिना व्यय किया गया था जो अपर्याप्त बजटीय और व्यय पर नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

अस्पष्टीकृत पुनर्विनियोग

एसबीएम का अनुच्छेद 23.15.6 परिकल्पित करता है कि विभाग को प्रत्याशित आधिक्य या बचतों के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2024) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 43 मदों में से केवल 29 प्रकरणों के पुनर्विनियोग आदेशों में ही विशिष्ट स्पष्टीकरण प्रदान किये गये थे। शेष 14 मामलों में स्पष्टीकरण सामान्य प्रकृति जैसे 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम मूल्यांकन पर आधारित' और 'व्यय पर प्रतिबंध' के थे।

गैर-विशिष्ट स्पष्टीकरण प्रदान करने की उपरोक्त प्रवृत्ति राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित पारदर्शिता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

3.4.7 लेखों में अन्य अनियमितताएँ

1. राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में दोषपूर्ण प्रकटीकरण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएस)-2 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कानूनी/वैधानिक स्थिति वाले निकायों/संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों, संस्थानों/कॉलेजों, पीएसयू आदि को ही अनुदान, निवेश या ऋण के रूप में निधियां जारी की जानी चाहिए। इस तरह की सहायतार्थ अनुदान नकद या वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिसका उपयोग प्राप्तकर्ता एजेंसियां अपनी परिचालन के साथ-साथ पूंजीगत व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए करती हैं। आईजीएस-2 के बिंदु सं. 13 में कहा गया है कि परिसंपत्तियों के सृजन के प्रयोजनार्थ सहायता अनुदान पर होने वाले व्यय को सरकार के वित्तीय विवरणों में पूंजीगत शीर्ष में डेबिट नहीं किया जाएगा, इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं जो राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर विशिष्ट रूप से अधिकृत हो। इसके अलावा, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-I के नियम 338(1) में बताया गया है कि अस्थायी संपत्तियों या सहायतार्थ अनुदान पर व्यय को सामान्यतः पूंजीगत प्रकृति का व्यय नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सरकारी लेखा नियम (जीएआर), 1990 के नियम 30(1) के अधीन टिप्पणी में यह भी बताया गया है कि अस्थायी संपत्ति पर व्यय या स्थानीय निकायों या संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान (संपत्ति बनाने के उद्देश्य से जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों से संबंधित होगा) पर व्यय को सामान्यतः पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट रूप से अधिकृत किए जाने के मामले को छोड़कर इसे पूंजीगत शीर्ष के लेखों में डेबिट नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 150 में यह प्रावधान है कि संघ और राज्य के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जैसा राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर निर्धारित करे। इस प्रकार, राज्य सरकार महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय से बजट में खोले गए लेखांकन शीर्षों के लिए कार्योत्तर अनुमति मांगती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में कुछ पूंजीगत शीर्ष खोले, जिसके माध्यम से विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान प्रदान की गई, यद्यपि, महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा इन शीर्षों को खोलने की अनुमति अस्वीकार कर दी गई थी (जनवरी 2022)। तथापि, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान उपरोक्त आईजीएस, जीएआर और जीएफ एंड एआर के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यय को अनियमित रूप से राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया।

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि राजस्थान सरकार ने स्वायत्तशासी निकाय (राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय, बीकानेर) को सहायतार्थ अनुदान के लिए ₹ 8.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया, जिसके विरुद्ध किये गये व्यय को राजस्व मद के बजाय पूंजीगत मद के तहत ₹ 4.00 करोड़ से दर्ज किया गया। परिणामस्वरूप, राजस्व/पूंजीगत व्यय

₹ 4.00 करोड़ से कम/अधिक बताया गया है। इन पूंजीगत शीर्षों का विवरण नीचे तालिका 3.27 में दिया गया है:

तालिका 3.27: वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत शीर्ष के तहत अनियमित पुस्तांकन

(₹ लाख में)

क्र.सं	अनुदान संख्या	बजट मद	मूल प्रावधान	व्यय
1	30	4403-796-05-01-18 मशीनरी और औजार/उपकरण एवं संयंत्र	200.01	100.00
2	47	4403-101-18-01-18 मशीनरी और औजार /उपकरण एवं संयंत्र	400.01	200.00
3	51	4403-789-05-01-18 मशीनरी और औजार/उपकरण एवं संयंत्र	200.01	100.00
		कुल	800.03	400.00

इस प्रकार, राजस्व व्यय के लिए पूंजीगत शीर्षों का संचालन अनियमित था तथा आईजीएएस, जीएआर और जीएफ एंड एआर के प्रावधानों का उल्लंघन था।

2. बिना बजट प्रावधान के किया गया व्यय

एसबीएम के अनुच्छेद 24.1 के अनुसार, व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तीन अनुदानों से संबंधित चार मामलों में समेकित रूप से ₹9.20 करोड़ बिना प्रावधान के किए गए व्यय का विवरण तालिका 3.28 में दिया गया है।

तालिका 3.28: ऐसे मामले जहां बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	लेखाशीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय
			मूल	पूरक	पुनर्विनियोग	कुल		
1.	18- गृह विभाग	2055-115-09-01 पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत छात्रों को प्रशिक्षण	3.06	0.00	(-) 3.06	0.00	2.13	2.13
2.		2055-101-01-03 आपराधिक शाखा	₹ 3000	0.00	(-) ₹ 3000	0.00	0.64	0.64
3.	30-जनजाति क्षेत्र विभाग	4059-80-796-04-02 अन्य भवन	12.60	0.00	(-) 12.60	0.00	2.00	2.00
4.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4059-80-789-03-02 अन्य भवन	16.20	0.00	(-) 16.20	0.00	4.43	4.43
		कुल	31.86	0.00	(-) 31.86	0.00	9.20	9.20

इन शीर्षों के तहत बिना किसी बजट प्रावधान के किये गये व्यय के कारणों के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया है (नवम्बर 2024)।

3. अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान से अधिक किया गया व्यय

एसबीएम के अनुच्छेद 24.1 के अनुसार, व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालाँकि, यह देखा गया कि 20 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध बजट प्रावधान से अधिक व्यय (₹ 20 लाख से अधिक) किया गया था, हालाँकि समग्र अनुदान में कोई आधिक्य नहीं था। विवरण नीचे तालिका 3.29 में दिया गया है।

तालिका 3.29: बजट प्रावधान से अधिक किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	बजट शीर्ष	कुल प्रावधान (मु+पू+पु)	व्यय	आधि व्यय व्यय
1.	4-सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	6004-09-101-02-01 पश्चिम राजस्थान में गरीबी उन्मूलन-विश्व बैंक	3.30	6.56	3.26
2.	11-पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	4059-80-051-13 सामान्य भवन (मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग)	7.29	7.50	0.21
3.	30-जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	2202-02-107-06-02 पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	54.22	54.49	0.27
4.		2211-796-02-03 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	437.30	439.80	2.50
5.	31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2225-03-196-05-02 विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	80.54	87.66	7.12
6.		2225-03-196-06-05 विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (प्रारंभिक शिक्षा विभाग)	6.54	6.78	0.24
7.		2235-03-196-06-07 देवनारायण गुरुकुल योजना	5.89	12.68	6.79
8.		2223-02-196-19-07 पालनहार योजना के तहत आश्रयहीन बच्चों के लिए अनुदान	527.40	543.58	16.18
9.		2059-80-053-22 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-प्रतिबद्ध	5.29	5.96	0.67
10.		4225-03-800-01-03 देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण	29.11	31.36	2.25
11.		4225-03-800-01-02 आदर्श छात्रावास योजना के अंतर्गत देवनारायण छात्रावास भवन का निर्माण	16.33	19.83	3.50
12.	40-स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	4217-60-051-11-01 आर.यु.आई.डी.पी. चौथा चरण किस्त -2 (ईएपी)	264.98	265.75	0.77
13.	41-जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	4215-01-102-03-01 अन्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ	575.65	598.30	22.65
14.	42-जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	4701-80-800-03-01 निर्माण कार्य	27.58	28.90	1.32
15.	44-सार्वजनिक निर्माण विभाग	5054-02-337-03 सीमा सड़क विकास मण्डल के माध्यम से	414.62	506.30	91.68

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	बजट शीर्ष	कुल प्रावधान (मु+पू+पु)	व्यय	आधि व्य व्यय
16.		5054-03-337-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-प्रथम (ए.डी.बी.)	739.04	740.72	1.68
17.		5054-03-337-12 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-द्वितीय (विश्व बैंक)	578.97	579.23	0.26
18.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2225-01-789-01 अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति और वजीफा	92.16	93.03	0.87
19.		2211-789-02-03 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	511.93	515.63	3.70
20.		5452-80-789-02 ग्रामीण पर्यटन का विकास	1.39	1.66	0.27

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे

इन शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधान से अधिक व्यय के कारणों को संबंधित विभागों द्वारा सूचित नहीं किया गया है (नवम्बर 2024)।

3.5 प्रशंसनीय कदम

राज्य सरकार के बजटीय प्रबंधन के सकारात्मक पहलू नीचे दिये गये हैं:

- वित्तीय वर्ष के समापन से पहले सभी पुनर्विनियोजन आदेश और अभ्यर्पण आदेश प्रस्तुत करना।
- वर्ष की समाप्ति से पहले अधिकांश बचतों का अभ्यर्पण।

3.6 निष्कर्ष

अत्यधिक/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों के मामलों से इंगित होता है कि विभागों ने आवश्यकता का यथार्थवादी मूल्यांकन नहीं किया और बजट नियंत्रक अधिकारी मासिक व्यय के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रण करने में विफल रहे।

अपर्याप्त/अत्यधिक या अनावश्यक पुनर्विनियोग के मामले दर्शाते हैं कि बजट नियंत्रक अधिकारी अपने नियंत्रणाधीन लेखाशीर्षों में निधियों की आवश्यकता का पर्याप्त आकलन करने में विफल रहे।

वर्ष के अंतिम महीने/अंतिम तिमाही में किया गया प्रचुर व्यय यह संकेत देता है कि व्यय/प्राप्तियों पर आंतरिक नियंत्रण कमजोर था और बजटीय नियंत्रण/प्रबंधन की कमी थी।

3.7 सिफारिशें

बजटीय नियंत्रण तंत्र, विशेष रूप से मासिक व्यय नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र को सशक्त किया जाना चाहिए ताकि अत्यधिक बचत को रोका जा सके, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ लगातार बचत देखी गई हैं और अप्रयुक्त रहे अनुपूरक प्रावधानों को कम किया जा सके।

राज्य सरकार को एक उचित नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बजट कार्यान्वयन के उचित क्रियान्वन और निगरानी को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे अनुदान/विनियोजन के भीतर बड़ी बचत को नियंत्रित किया जा सकेगा और प्रत्याशित बचत की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पहचान कर उसे अभ्यर्पित किया जा सकेगा।

बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट के उचित विश्लेषण और आगामी विनियोग लेखाओं की सटीक तैयारी की सुविधा के लिए आवंटन से व्यय में भिन्नता की स्पष्ट व्याख्या प्रदान करने की उनकी जिम्मेदारी के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है।